after this clarification, clarification for that can also be sought. If you agree, we can do that.

THE LEADER OF THE OPPOSITION (SHRI GHULAM NABI AZAD): Sir, we have no problem.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. Sushmaji, you can make the Statement because both the issues are important.

श्री के.सी. त्यागी (बिहार): उपसभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदया के उत्तर देने से पहले मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूं। मेरा निवेदन है कि मुझे ...**(व्यवधान)** ...

श्री उपसभापति: त्यागी जी, मैं आपको क्लेरीफिकेशन के लिए अवसर दूंगा।

श्री के.सी. त्यागी: सर, मैंने नोटिस दिया हुआ है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I will give you time for clarification.

श्री के.सी. त्यागी: माननीय उपसभापति महोदय, इस कच्चतीवु की जो सीमा है, इसी के अंदर मछलियां मिलती हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति : त्यागी जी, मैंने आपसे कहा है कि मैं आपको क्लैरीफिकेशन के लिए अवसर दूंगा।

श्री के.सी. त्यागी: सर, मुझे एक मिनट का टाइम दे दीजिए। मेरी बात सुन लीजिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: त्यागी जी, मैंने आपसे कहा है कि मैं आपको क्लैरीफिकेशन के लिए अवसर दूंगा। ...**(व्यवधान)**...

श्री के.सी. त्यागी: सर, मेरा कहना है कि इससे मंत्री महोदया को जवाब देने में आसानी होगी। ... **(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: त्यागी जी, आप कृपया बैठिए। मैंने आपसे पहले ही कह दिया है कि मैं आपको क्लैरीफिकेशन के लिए टाइम दूंगा। कृपया बैठिए।

Remarks Made by the Sri Lankan Prime Minister Regarding Shooting of Indian Fishermen entering their Territorial Waters by the Sri Lankan Navy

विदेश मंत्री; तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): उपसभापति महोदय, जो विषय भाई के.सी. त्यागी जी ने आज सुबह सदन में उठाया, वह सभी भारतीयों को उद्वेलित करने वाला है। मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूंगी कि इसी माह की छः तारीख को मैं डेढ़ दिन की यात्रा के लिए श्रीलंका गई थी। वहां पहुंचने के बाद मुझे 'हिन्दू' अखबार में उस इंटरव्यू की ट्रांस्क्रिप्ट

पढ़ने को मिली, जो श्रीलंका के प्रधान मंत्री श्री रानिल विक्रमसिंघे ने दिया था। उसमें उन्होंने दो बातें कही थीं। एक तो जो तमिल मछुआरे श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति द्वारा छोड़े गए थे, जिनकी सजा समाप्त की गई थी, उसकी तुलना उन्होंने इटैलियन मेरीन से करते हुए यह कहा था कि भारत अपने मछुआरे तो छुड़वा लेता है और इटैलियन मरीन को पकड़ कर रखा है और दूसरी बात में उन्होंने हमारे जो मछुआरे श्रीलंका की नेवी द्वारा मारे जाते हैं, उसका औचित्य ठहराया था।

उपसभापति जी, श्री रानिल विक्रमसिंघे जी के साथ मेरी मुलाकात पहले से तय थी। इसलिए दोपहर में जब मैं उनसे मिलने के लिए गई, तो सबसे पहले मैंने उनके साथ यही दो मुद्दे उठाए और बहुत ज़ोर से उठाए। पहले मुद्दे के बारे में मैंने उन्हें बताया कि आपने जिन दो केसेज़ की तुलना की है, उनके तथ्य एकदम अलग-अलग हैं। इसलिए उनकी तुलना नहीं की जा सकती। मैंने उन्हें बताया कि जहां तक हमारे मछुआरों का सवाल है, जिनकी सज़ा पूर्व राष्ट्रपति जी ने समाप्त की थी, वे पूरी न्यायिक प्रक्रिया से गुज़रे थे। उन पर मुकदमा चला था, उनको सज़ा हुई थी और सज़ा भी मौत की हुई थी। उन्हें मृत्यु दंड सुनाया गया था। उसके खिलाफ भी हमने हाईकोर्ट में अपील की थी। वहां से इस बात का संज्ञान लेते हुए, क्योंकि हमने अपील में कहा था कि ये आरोप झूठे हैं, उन्होंने उनकी सज़ा को अपनी एग्जीक्यूटिव पावर से माफ करने का काम किया था। जहां तक इटैलियन मेरीन्स का सवाल है, वे तो जुडीशियल प्रोसेस को शुरू ही नहीं होने दे रहे हैं। हमारे यहां हमारे सुप्रीम कोर्ट ने एक स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित किया, ताकि जल्दी सुनवाई हो जाए और जल्दी निपटारा हो जाए।लेकिन वे उस प्रोसेस में ही नहीं आ रहे हैं। वे jurisdiction का सवाल उठाकर उस प्रोसेस में प्रारंभ ही नहीं करवा रहे हैं। वह judicial process शुरू ही नहीं हुआ है। तो मैंने उनसे सवाल किया कि the Executive power can be exercised only after the judicial process is over. तो जिस केस में judicial process की सुनवाई शुरू ही नहीं हुई, उसकी तुलना आप उससे कर रहे हैं, जहां सज़ा हो गई और सज़ा के बाद executive powers हुईं, तो उन्होंने बिल्कुल सहमति में सिर हिलाकर कहा कि I did not know these facts. यह पहला सवाल था।

जहां तक दूसरे मुद्दे का सवाल है, मैंने उनसे कहा कि अगर हम गोलियां चलाने का औचित्य ठहराएंगे, तो फिर दोनों देश एक दूसरे पर गोलियां ही चलाएंगे, क्योंकि केवल हमारे मछुआरे ही उधर नहीं जाते, आपके मछुआरे भी इधर आते हैं। मैंने उन्हें याद दिलाया कि तीन दिन पहले ही श्रीलंका के 19 मछुआरे हमारे कोस्ट गार्ड्ज़ ने पकड़े थे, लेकिन दोपहर में ही, जैसे हमें पता चला, हमने तुरंत उनकी रिलीज़ के ऑर्डर कर दिए कि इनको पकड़ो मत, छोड़ दो। क्योंकि अभी हमारी सरकार आने के बाद और वहां नई सरकार आने के बाद एक दिन ऐसा आया जिस दिन ज़ीरो-ज़ीरो हो गया। न उनकी एक भी बोट हमारे पास थी, न हमारी एक भी बोट उनके पास थी, न एक भी मछुआरा हमारा उधर था, न एक भी मछुआरा उनका इधर था। तो मैंने उनसे कहा कि यह सिलसिला फिर शुरू हो गया, इसलिए हम इसका एक स्थाई समाधान चाहते हैं और वह स्थाई समाधान हमारे प्रधान मंत्री जी ने बैठकर निकाला कि उनको डीप-सी फिशिंग पर ले जाओ। जब तक डीप-सी फिशिंग पर हम अपने मछुआरों को नहीं ले जाएंगे, तब तक यह सिलसिला चलता रहेगा, तो मैंने कहा कि जब तक हम डीप-सी फिशिंग पर जाते हैं, तब तक के लिए तो कोई इंटेरिम अरेंजमेंट करना होगा और वह इंटेरिम अरेंजमेंट technicalities पर नहीं हो सकता, वह humanitarian angle से ही होगा और इसके लिए एक mechanism हमने तय किया है कि दोनों तरफ के मछुआरे स्वयं बैठें।

[श्रीमती सुषमा स्वराज]

वे आपस में रिश्तेदार भी हैं। उधर भी तमिल हैं, इधर भी तमिल हैं, वे आपस में बैठकर तय करें कि इंटेरिम अरेंजमेंट तक किस तरह से ये गिरफ्तारियां रुकें और यह मारा-मारी रुके। मैंने उन्हें यह भी बताया कि इसके लिए एक मीटिंग तय हुई थी, जो 11 तारीख के लिए तय थी, लेकिन चूंकि अब प्रधान मंत्री जी की यात्रा 13 तारीख को हो रही है, तो उस मीटिंग को पोस्टपोन किया जा रहा है, अब वो मीटिंग 15 तारीख के बाद होगी, तो इंटेरिम अरेंजमेंट ही इसका कोई हल निकाल सकता है। इसमें भी उन्होंने सहमति में सिर हिलाया, तो दोनों बातों पर भारत ने अपनी आपत्ति की। बहुत ज़ोर से उनके सामने बात उठाई। उस पूरी बात को उन्हें समझाया भी और मुझे सदन को यह बताते हुए खुशी है कि हमारे दोनों उत्तरों से वे सहमत हुए।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, first of all, we shall have a few clarifications on the Statement made by the hon. Home Minister, after which the Home Minister will reply. After that, we shall have clarifications on the Statement made by the hon. External Affairs Minister, Shrimati Sushma Swaraj, after which the Minister will reply. Now, hon. Leader of the Opposition.

विपक्ष के नेता (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : माननीय डिप्टी चेयरमैन साहब, अभी माननीय गृह मंत्री ने, सुबह आनन्द शर्मा जी ने, यादव जी ने, मायावती जी ने और हमारे दूसरे सदस्यों ने जो मुद्दा मसर्रत आलम बट्ट को लेकर उठाया था और यह उन्होंने ठीक कहा कि इस पर रोष सिर्फ कांग्रेस पार्टी का नहीं, बल्कि पूरे देश के साथियों का है। जहां तक मुझे जानकारी है कि 2010 में मसर्रत आलम हर हफ्ते एक कैलेंडर इश्यू करते थे और उस कैलेंडर में दो दिन पथराव और तीन दिन हड़ताल के लिए रखे जाते थे और एक दिन - संडे होता था, एक दिन शॉपिंग के लिए होता था कि लोग खाना-वाना ले सकें। तो यह सिलसिला कोई पांच महीने तक चला और उन्होंने वादी के हर शहर में बच्चों के गिरोह बनाए थे। मैं उन बच्चों को दोष नहीं देता हूं। बेकारी है, पूरे देश में है, कश्मीर में ज़रा ज्यादा हो जाती है क्योंकि छः महीने आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं और जम्मू-कश्मीर बिल्कुल dead end पर है, बॉर्डर पर है। वहां कोई दूसरे वाहन भी नहीं चलते हैं कि कोई employment भी generate हो जाए। वहां बेरोज़गारी है। मैं जब चीफ मिनिस्टर था, तो मैं इसकी तह तक गया था। सौ-सौ रुपए में बच्चे ग्रेनेड फेंक देते थे। उनको मालूम नहीं होता था कि आगे इसका क्या परिणाम होगा? तो मैं उन बच्चों को दोष नहीं देता हूं, क्योंकि उनके गिरोह बनाए गए थे और यह उनके employment का ज़रिया बना दिया गया था कि तुमको पत्थर मारने के लिए per day इतने पैसे मिलेंगे और उनको फॉडर बना दिया पुलिस का। तो इसका मतलब यह है कि मसर्रत आलम खाली पत्थर मारने वालों में नहीं थे। ये पीछे उस गिरोह के थे, जिस गिरोह से ये कश्मीर में अशांति फैलाना चाहते थे। ज़ाहिर है कि जब अशांति फैल जाती थी, इतनी बड़ी तादाद में लोग सिक्योरिटी फोर्सिज़ पर, आम जनता पर, वाहनों पर पत्थर फैंकते थे, तब पुलिस को तो ऐक्शन लेना ही था। वह दूसरी बात है कि कहां तक उनको गोली चलानी थी या नहीं चलानी थी, वह तो judiciary फैसला करेगी, लेकिन उसका नुकसान यह हुआ कि एक तो पांच महीने बरबाद हुए और दूसरा, इनकी वजह से वे 112 बच्चे मारे गए। उसका कत्ल भी तो इन्हीं के सिर पर चढ़ जाएगा मैं मानता हूं कि आज जम्मू-कश्मीर गवर्नमेंट का स्टेटमेंट आया है, reconciliation का। मैं जम्मू-कश्मीर का होने

के नाते वहां के हालात को जानता हूं। वहां reconciliation बहुत जरूरी है। बहुत सारे ऐसे लड़के हैं, नौजवान हैं, जिन पर शायद कोई केसेज़ नहीं हैं और उन केसेज़ को आगे बढ़ाया नहीं जाता। वहां तक reconciliation बहुत ठीक है, उनको mainstream में लाना है। जिन्होंने ऑलरेडी पहले से ही हथियार छोड़ दिए हैं, उनको जॉब्स या mainstream में लाने के लिए रास्ता बनाने का सिलसिला शुरू किया गया था। उनको अभी mainstream में लाना है, उनका reconciliation करना है, उससे मैं पूरी तरह से सहमत हूं, लेकिन इस तरह के जो चंद लोग हैं, जो सिर्फ पत्थर मारने वालों में नहीं हैं या जो मास्टरमाइंड हैं, उनके खिलाफ तो कार्यवाही होनी ही चाहिए। मैं यह नहीं कहता हूं कि हर व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। मैं उसके हक में नहीं हूं, लेकिन जो मास्टरमाइंड हैं, मैं व्यक्तिगत तौर पर समझता हूं कि इनकी वजह से वे 112 बच्चे मरे, वरना वे नहीं मरते। मैं माननीय गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि एक तो उन्होंने यह ठीक कहा कि वे इस जवाब से खुद संतुष्ट नहीं हैं और ज़ाहिर है, होना भी नहीं चाहिए कि अगर इनके खिलाफ 27 क्रिमिनल केसेज़ हैं तो नॉर्मली जम्मू-कश्मीर में ऐसा होता है कि जिनके ऊपर heinous crime का केस होता है, उनको कोर्ट से तो जल्दी ज़मानत मिल जाती है और जल्दी रिहा भी हो जाते हैं, फिर उनको दूसरे किसी केस में पकड़ा जाता है। आज तक इनके साथ ऐसा ही हुआ है कि अगर एक केस में इनको रिहा कर दिया गया तो ये 27 केस जो आपने फरमाए, इनमें से किसी न किसी केस में इनको दुबारा पकड़ा जाता है। इन साढ़े चार साल में यह पहली दफा हुआ है कि छोड़ने के बाद अब इनको पकड़ा नहीं गया। जैसा माननीय गृह मंत्री जी कह रहे थे कि अभी स्टेट गवर्नमेंट ने बताया कि उनके खिलाफ कोई केस नहीं है। अगर केस चला ही नहीं तो केस खत्म कैसे हो गया? केस तो तब खत्म होगा जब कोर्ट-कचहरी में चलेगा, फिर या तो वह गलत केस साबित हो जाएगा या उसको सज़ा मिल जाएगी। स्टेट गवर्नमेंट ने यह कैसे कह दिया कि इनके खिलाफ अब कोई केस ही नहीं है, सब केस खत्म हो गए? मैं यह पूछना चाहता हूं ...(**व्यवधान**).. बेल तो ठीक है। आप बाद में इकट्ठे सबका जवाब दीजिएगा। आम reconciliation के हक में आप भी हैं, हम भी उसके हक में हैं, लेकिन इस तरह के आतंकवादी, जो देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा हैं, क्या आने वाले वक्त में उनके संबंध में एहतियात बरती जाएगी या नहीं? बहुत-बहुत धन्यवाद।

†† **قائد حزب اختلاف (جناب غلام نبی آزاد):** ماتّنے ڈپٹی چیئرمین صاحب، ابھی ماتّنے ہوم منسٹر نے، صبح آنند شرما جی نے، یادو جی نے، مایاوتی جی نے اور ہمارے دوسرے ممبروں نے جو مدّعا مسرّت عالم بھٹ کو لے کر اٹھایا تھا اور انہوں نے ٹھیک کہا کہ اس پر روش صرف کانگریس پارٹی کا نہیں، بلکہ پورے دیش کے ساتھیوں کا ہے- جہاں تک مجھے جانکاری ہے کہ 2010 میں مسرّت عالم ہر ہفتے ایک کلنڈر ایشو کرتے تھے اور اس کلنڈر میں دو دن پتھراؤ اور تین تین ہڑتال کے لئے رکھے جاتے تھے اور ایک دن - سنڈے ہوتا تھا، ایک دن شاپنگ کے لئے ہوتا تھا کہ لوگ کھانا وانا لے سکیں- تو یہ سلسلہ کوئی پانچ مہینے تک چلا اور انہوں نے وادی کے ہر شہر میں بچوں کے گروہ بنائے تھے- میں ان بچوں کو دوش نہیں دیتا ہوں- بیکاری ہے، پورے دیش میں ہے، کشمیر میں ذرا زیادہ ہو جاتی ہے کیوں کہ چھہ مہینے آپ کچھہ بھی نہیں کر سکتے ہیں اور جمّوں و کشمیر بالکل dead end پر ہے، بارڈر پر ہے- وہاں کوئی دوسرے واہن بھی نہیں چلتے ہیں کہ کوئی ایمپلانمینٹ بھی جنریٹ ہو جائے- وہاں بیروزگاری ہے- میں جب چیف منسٹر تھا، تو میں اس کی تہہ تک گیا تھا- سو سو روپے میں بچے

† Transliteration in Urdu script.

دوش نہیں دیتا ہوں، کیوں کہ ان کے گروہ بنائے گئے تھے اور یہ ان کے ایمپلائمینٹ کا ذریعہ بنا دیا گیا تھا کہ تم کو پتھر مارنے کے لئے روزانہ اتنے پیسے ملیں گے اور ان کو فوڈر بنا دیا پولیس کا- تو اس کا مطلب یہ ہے مسرّت عالم خالی پتھر مارنے والوں میں نہیں تھے- یہ پیچھے اس گروہ کے تھے، جس گروہ سے یہ کشمیر میں بدامنی پھیلانا چاہتے تھے- ظاہر ہے کہ جب بدامنی پھیل جاتی تھی، اتنی بڑی تعداد میں لوگ سیکورٹی فورسیز پر، عام جنتا پر، وانہوں پر پتھر پھینکتے تھے، تب پولیس کو تو ایکشن لینا ہی تھا- وہ دوسری بات ہے کہ کہاں تک ان کو گولی چلانی تھی یا نہیں چلانی تھی، وہ تو جیوڈیشٹری فیصلہ کرے گی، لیکن اس کا نقصان یہ ہوا کہ ایک تو پانچ مہینے برباد ہوئے اور دوسرا، ان کی وجہ سے وہ 112 بچے مارے گئے- ان کا قتل بھی تو انہیں کے سر پر چڑھے جائے گا- میں مانتا ہوں کہ آج جموں و کشمیر گوورنمینٹ کا اسٹیٹمینٹ آیا ہے، reconciliation کا- میں جموں کشمیر کا ہونے کے ناطے وہاں کے حالات کو جانتا ہوں- وہاں reconciliation بہت ضروری ہے- بہت سارے ایسے لڑکے ہیں، نوجوان ہیں، جن پر شاید کوئی کیسیز نہیں ہیں اور ان کیسیز کو آگے بڑھایا نہیں جاتا- وہاں تک reconciliation بہت ٹھیک ہے- ان کو مین-اسٹریم میں لانا ہے- جنہوں نے آلریڈی پہلے سے ہی ہتھیار چھوڑ دئے ہیں، ان کو جاہس یا مین-اسٹریم میں لانے کے لئے راستہ بنانے کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا- ان کو ابھی مین-اسٹریم میں لانا ہے، ان کا reconciliation کرنا ہے، اس سے میں پوری طرح سے سہمت ہوں، لیکن اس طرح کے جو چند لوگ ہیں، جو صرف پتّھر مارنے والوں میں نہیں ہیں یا جو ماسٹرمائنڈ ہیں، ان کے خلاف تو کاروائی ہونی ہی چاہئے- میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آدمی کےخلاف کاروائی ہونی چاہئے- میں اس کے حق میں نہیں ہوں، لیکن جو ماسٹرمائنڈ ہیں، میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ ان کی وجہ سے وہ 112 بچے مرے، ورنہ وہ نہیں مرتے- میں مانّنے ہوم منسٹر جی سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایک تو انہوں نے یہ ٹھیک کہا کہ وہ اس جواب سے خود مطمئن ہیں اور ظاہر ہے، ہونا بھی نہیں چاہئے کہ اگر ان کے خلاف 27 کریمنل کیسیز ہیں تو نارملی جموں و کشمیر میں ایسا ہوتا ہے کہ جن کے اوپر heinous crime کا کیس ہوتا ہے، ان کو کورٹ سے تو جلدی ضمانت مل جاتی ہے اور جلدی رہا بھی ہو جاتے ہیں، پھر ان کو دوسرے کسی کیس میں پکڑا جاتا ہے- آج تک ان کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے کہ اگر ایک کیس میں ان کو رہا کر دیا گیا تو یہ 27 کیس جو آپ نے فرمائے، ان میں سے کسی نہ کسی کیس میں ان کو دوبارہ پکڑا جاتا ہے- ان ساڑھے چار سال میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ چھوڑنے کے بعد ان کو پکڑا نہیں گیا- جیسا مانّنے ہوم منسٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ ابھی اسٹیٹ گوونمینٹ نے بتایا کہ ان کے خلاف کوئی کیس نہیں ہے- اگر کیس چلا ہی نہیں تو کیس ختم کیسے ہو گیا؟ کیس تو تب ختم ہوگا- جب کورٹ کچہری میں چلے گا، پھر یا تو وہ غلط کیس ثابت ہو جائے گا یا اس کو سزا مل جائے گی- اسٹیٹ گوورنمینٹ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ ان کے خلاف اب کوئی کیس ہی نہیں ہے، سب کیس ختم ہوگئے؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں --(مداخلت)-- بیل تو ٹھیک ہے- آپ بعد میں اکٹھے سب کا جواب دیجئے گا- عام reconciliation کے حق میں آپ بھی ہیں، ہم بھی اس کے حق میں ہیں، لیکن اس طرح آتنک وادی، جو دیش کی ایکتا اور اکھنڈتا کے لئے خطرہ ہیں، کیا آنے والے وقت میں ان کے سمبندھ میں احتیاط برتی جائے گی یا نہیں؟ بہت بہت دھنیواد-

[(ختم شد)

श्री शरद यादव (बिहार) : उपसभापति महोदय, विरोधी दल के नेता श्री गुलाम नबी आज़ाद साहब ने जो बात कही, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, लेकिन मैं आपके माध्यम से होम मिनिस्टर साहब से यह पूछना चाहता हूं, माननीय प्रधान मंत्री जी भी यहां बैठे हैं, कि यह कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हकीकत में है क्या? दो महीने में क्या बात हुई है, उन दो महीनों में एक-दूसरे के बीच में क्या-क्या सहमति हुई है, किस दूरी तक हुई है कि कब करना है, कैसे करना है? जैसे हुर्रियत के लोगों के साथ

बात करने का जो सिलसिला है, वह आज का नहीं है। मुफ्ती साहब और अटल बिहारी वाजपेयी जी के बीच में, मैं अच्छी तरह जानता हूं क्योंकि मैं negotiate करवाता रहता था, बहुत अच्छे रिश्ते थे। वे इस देश के होम मिनिस्टर भी रहे हैं। होम मिनिस्टर रहते हुए एक बात जरूर ऐसी हुई थी, जो उन पर दाग है। वे उत्तर भारत से दो जगह से चुनाव भी जीते हैं। मैं कश्मीर के बारे में गुलाम नबी आज़ाद जी की बात से सहमत हूं कि हर एक पार्टी ने, किसी एक पार्टी ने नहीं, बल्कि हर पार्टी ने 68 वर्ष में जम्मू-कश्मीर को अपनी राष्ट्रीय एकता का एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनाकर रखा है। वहां पर बहुत सी दिक्कतें और complications हैं। इस बार वहां तीनों इलाकों में बहुत बड़े पैमाने पर लोगों ने वोट दिया है, 70 फीसदी के ऊपर भी वोट दिया है, यह कोई मामूली बात नहीं है। इसका सबसे बड़ा श्रेय वहां की जनता को जाता है। मैं मुफ्ती साहब के साथ सहमत नहीं हूं। जो राजनीति का बदलाव हुआ है, उसके चलते वहां की जनता ने बड़े पैमाने पर, चाहे वह जम्मू का इलाका हो, चाहे वह लद्दाख का इलाका हो, चाहे वह घाटी का इलाका हो, पूरी जनता में एक ऐसा संकल्प था कि हम सब को वोट करना है। वे कश्मीर को अपने नज़रिए से बचाना चाहते थे, जम्मू को लोग अपने नज़रिए से बचाना चाहते थे, लद्दाख को लोग अपने नज़रिए से बचाना चाहते थे, इसीलिए बड़ा वोट हुआ है। यह जो बड़ा वोट हुआ है, यह देश और दुनिया में, जैसा कि प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि इसका सबसे बड़ा श्रेय वहां की जनता को जाता है, मैं इस बात से सहमत हूं। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि दो महीने आपके बीच में बातचीत चली है और बातचीत में हुर्रियत के साथ बात होना या न होना, यह जो reconciliation है, जिसके बारे में गुलाम नबी जी बोल रहे हैं, इसकी बात हुई है या नहीं हुई है? पाकिस्तान के साथ चर्चा होगी, यह भी उनका आग्रह रहा है, इस पर आपकी चर्चा हुई है या नहीं हुई है? जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, वह लिखित में क्या है और उसके पीछे आपने क्या बातें तय की हैं? ऐसा तो नहीं है कि जो पीछे बातें तय हुई हैं, उनमें उन्होंने जल्दबाजी कर दी है या सही में यह रास्ता बना है? होम मिनिस्टर साहब ने जो बयान दिया है वह पर्टिकुलर एक आदमी मसर्रत के बारे में दिया है, लेकिन सम्पूर्ण मामले के बारे में नहीं कहा है। जम्मू-कश्मीर का मामला बहुत नाजुक मामला है। हमने पिछले 68 वर्ष में काफी उतार-चढ़ाव देखे हैं तब कहीं जाकर यह हमारे साथ बना हुआ है। हमारे सदन के कई प्रस्ताव हैं कि हम जम्मू-कश्मीर को राष्ट्रीय एकता के लिए बहुत बड़ा मुद्दा मानते हैं। हम इसको हिन्दू-मुसलमान का मुद्दा नहीं मानते हैं। कभी-कभी समझौता विपरीत ध्रुवों में होता है यानी चीन के साथ अमेरिका की पहली बार बात हुई है, जब वहां के विदेश मंत्री वहां गए। आपके इस समझौते से देश भर में लोग चिंतित जरूर हैं, लेकिन मेरी भावना यह है कि जो आपने समझौता किया है, वह इस देश में यहां की समस्याओं के निपटारे का रास्ता बनाएगा। मैं आपसे जानना चाता हूं कि आपने जो दो महीने बात की उसमें ये सारी बातें आपने रखी हैं या नहीं रखी हैं, जैसा AFSPA है, उस AFSPA को वापस करने के लिए भी आपने कोई रास्ता बनाया है या नहीं बनाया है कि इसका भी हम समाधान करेंगे? इसलिए मेरी आपसे विनती है कि आपको एक व्यापक संदर्भ में बयान देना चाहिए। आपका बयान एक छोटी सी घटना पर है। वहां के जवाब और आपके जवाब में अंतर्विरोध भी है।

उपसभापति जी, मेरी सरकार से एक विनती है कि सरकार को इस मामले में पूरे देश को विश्वास में लेकर चलना चाहिए और अकारण जो बयानबाज़ी हो रही है, उसको यदि हमें समाप्त करना है, तो पारदर्शिता के साथ, हिम्मत के साथ काम करना होगा। देश तभी बनता है जब जोखिम उठाया जाता है। इसकी सारी बातों को सरकार द्वारा देश के सामने रखा जाना चाहिए। यही विनती मैं आपसे और सरकार से करना चाहता हूं। यह मामला इतना सा नहीं है, बल्कि जम्मू-कश्मीर का सवाल देश का सवाल है और इस मामले में देश को विश्वास में लेना बहुत जरूरी है। सरकार को इसमें व्यापक बयान देना चाहिए। जो आपका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, उसको भी रिलीज़ करना

[श्री शरद यादव]

चाहिए। उसको अखबारों के जरिए नहीं, आपको सरकार के जरिए यहां टेबल करना चाहिए कि क्या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आपने रखा है? इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shri A. Navaneethakrishnan. Those who seek clarifications should confine to three minutes. Everybody should confine to three minutes!

SHRI A. NAVANEETHAKRISHNAN (TAMIL NADU): Sir, in Jammu and Kashmir, the rule of law has become an empty phrase. The BJP is a coalition partner in that Government. As Central Government they are seeking clarification. Hon. Minister says that he is not satisfied with the reply given by the State Government. It is unheard-of for a Chief Minister to attribute smooth conduct of election to a foreign nation. He is unfit to be the Chief Minister of Jammu and Kashmir. It is an anti-national act. I humbly submit that it is an anti-national act. The BJP having satisfied that the reply given by the State Government is not correct or not satisfactory, it is high time the BJP came out of the coalition Government and ordered fresh election. It is the only solution. Then only will our Constitution be in force. I humbly submit that what had happened in Jammu and Kashmir, the Statements and the release of a dreaded criminal, is definitely an anti-social act. They are talking about public security, public order, law and order, preventive detention, etc. All the laws are on paper. They are not implemented in Jammu and Kashmir as per newspaper reports. I humbly request BJP to come out of the coalition Government and order fresh election in Jammu and Kashmir. This is the only solution to put an end to the anti-national activities carried out by all in Jammu and Kashmir. Thank you, Sir.

श्री सतीश चन्द्र मिश्रा (उत्तर प्रदेश) : मान्यवर, मैं होम मिनिस्टर साहब से क्लेरिफिकेशन के रूप में एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। आपने अभी यह कहा है कि उनके खिलाफ 27 मुकदमे चल रहे थे और बहुत ही heinous crimes के मुकदमे थे, लेकिन उनको उन सभी मामलों में बेल मिल गई। चूंकि बेल मिल गई, इसलिए आपके पास अब कोई हथियार नहीं रह गया है, कैसे आप उनको अंदर करें? मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि 27 मामले जो इतने heinous crimes के थे, जिनमें उनको बेल ग्रांट की गई, सरकार के पास यह पावर है कि वह बेल cancellation के लिए मूव करे। क्या आपने किसी मामले में बेल cancellation के लिए मूव किया या आप उनकी बेल cancellation के लिए मूव करने जा रहे हैं?

SHRI P. RAJEEVE (Kerala): Sir, it was reported that the Prime Minister had stated in the other House that the Centre was not consulted. Now the hon. Home Minister stated that they sought explanation from the State Government. They got the explanation and it is not satisfactory. The hon. Home Minister stated that they would

not compromise on security and national integrity of the country. As it is clearly stated, this act is an act of compromise on national security. Who did it? The State Government did it. It is not just the Chief Minister. It is not just the Minister. As per Article 75 of our Constitution and the concerned Article regarding States, the Government works with collective responsibility. Collective responsibility means the responsibility for this act lies not only with PDP but also with BJP. It shows that political opportunism of BJP forced them to compromise on national security and integrity of the country.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You seek clarifications. It is not for a speech. Ask questions.

SHRI P. RAJEEVE: It is a relevant question. This is the question. The political opportunism of BJP forced them to compromise on national security and integrity of the country. My query is: If BJP stands on the same position that they are not ready to compromise on national security, then why are they continuing with the Government in Jammu and Kashmir? Are they ready to come out from this Government? This is one.

Sir, this Government is indeed a form of inherent contradictions. The policies of BJP are one extreme of the spectrum. The policies of PDP are the other extreme of the spectrum. The CMP is a thing of contradictions. How can they continue with this Government which is compromising on national security of this country?All this shows the political opportunism which leads to a threat to the national security and the national integrity of the country.

Sir, I want to add one more point. There are several innocent Muslim youth in jail. Some of them are released after several years. They are acquitted. We demand that some compensation should be paid to them. We demand the release of innocent Muslim youth. If that is not in the CMP, then my question is: Does the CMP include release of such type of persons? These are my queries.

SHRI H.K. DUA (Nominated): Mr. Deputy Chairman, Sir, I won't take three minutes. I will take just one-and-a-half minutes. Through you, Sir, I would like to know from the Home Minister the number of separatist leaders who are still in jail. Has a list been drawn up and what is their number, who are to be released in the near future? Is there a proposal to have talks at some levels – whether at the State Government level or at the political level – with the leaders who are going to be released? Is there a proposal of talks with these people?

SHRI D. RAJA (Tamil Nadu): Sir, I would take only two minutes. Before seeking

clarifications, I take this opportunity to give my salutes to the people of Jammu and Kashmir. There are regular elections in Jammu and Kashmir. People participate in elections in a large number and it is a great thing before the international community. For that, I congratulate the people of Jammu and Kashmir.

Sir, the Prime Minister is present. He is personally involved in forging the coalition between BJP and PDP. There is a Common Minimum Programme. My question is: Has the Government of Jammu and Kashmir been doing all these things within the framework of the Common Minimum Programme or are they doing it in violation of the Common Minimum Programme? If that is so, what is the response of BJP, being the coalition partner and an ally of the Government? BJP cannot wash its hands of and BJP cannot absolve from its responsibility. I think you have a responsibility. You will have to explain your role to the nation.

Secondly, Sir, I think the time has come that the Government must review the cases against prisoners in Jammu and Kashmir. If there are people who are genuinely innocent, what are you going to do with them? What are you going to do for their rehabilitation? What is the thinking of the Government?

Sir, this reconciliation is a political question. The Government should take the entire nation into confidence. The Home Minister or the Prime Minister can throw some light on the initiative taken by the present Government on the question of reconciliation. (*Time-bell rings*)

Then, the last thing is about Pakistan. Once, you called off the Foreign Secretary level talks. Now, the talks are going to be resumed. Our Foreign Secretary has gone to Pakistan. What is the new initiative that you have taken as far as talks with Pakistan are concerned?

श्री प्रमोद तिवारी (उत्तर प्रदेश): उपसभापति महोदय, मैं बहुत ही विनम्रता के साथ गृह मंत्री जी से एक आग्रह करना चाहता हूँ कि उन्हें समझना चाहिए कि जिस उत्तर से वे स्वयं संतुष्ट नहीं हैं, उससे देश कैसे संतुष्ट हो सकता है? यह करोड़ों लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ सवाल है। यह उस व्यक्ति से ताल्लुक रखता है, जिसने भारत की सेनाओं पर हमला किया था। यह साधारण सा सवाल नहीं है। उसने राष्ट्र के विरुद्ध संघर्ष किया था, देश के खिलाफ संघर्ष किया था और देश के खिलाफ युद्ध थोपा था। यह उस व्यक्ति से सम्बन्धित है, जो 120 मौतों का सीधा जिम्मेदार है। माननीय उपसभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि यह उस व्यक्ति से सम्बन्धित है, जिसकी इस कार्रवाई से आज पूरा भारत उबल रहा है। मैं आपकी भावनाओं से अपने को जोड़ते हुए सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि यह किसी राजनैतिक दल के नेता का कार्य नहीं है। मुफ्ती साहब के आज तक जो बयान थे, वह एक राजनैतिक दल के नेता के थे। यह एक सरकार का executive act, administrative act है और 164 (2) में जो constitution कहता है, उसके अनुसार सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत होता है। जहां तक मेरी जानकारी है, मुझे जहां तक मालूम है, मैं

नहीं जानता कि सच क्या है, उसमें पीडीपी के साथ भाजपा की गठबंधन सरकार भी शामिल है और अगर यह कार्य सरकार ने किया है, तो बराबर की जिम्मेदारी भाजपा की भी है और पीडीपी की भी है। इसलिए अगर आप संतुष्ट नहीं हैं, तो आपके सामने दो ही विकल्प हैं। आप कह रहे हैं कि कोई नया काम नहीं किया है। मैं बताता हूँ कि उन्होंने क्या नया काम किया है। जिसे हम जन्नत समझते हैं, उस कश्मीर को, बाहर निकल कर उन्होंने कहा, मैं छोटी जेल से निकल कर बड़ी जेल में आ गया हूँ। क्या यह आपको नहीं लगता कि यह राष्ट्रीय अपमान है? क्या यह पर्याप्त कारण नहीं है? ...**(समय की घंटी)**..। सर, बस एक मिनट और चाहिए।

श्री उपसभापति: नहीं, नहीं, आपके दो मिनट हो गए, कृपया आप प्रश्न पूछिए।

श्री प्रमोद तिवारी: सर, मैं एक बात और कह कर माननीय मंत्री जी से अपना स्पष्टीकरण चाहता हूँ। यह कोई कानून-व्यवस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है, जो प्रदेश सरकार का मुद्दा हो। यह देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो सारे देश के खिलाफ जिस व्यक्ति ने संघर्ष किया हो, क्या दृढ़ता दिखाते हुए, हमारी भावनाओं को समझते हुए, अपने पुराने नेताओं की भावनाओं को समझते हुए आप यहीं पर यह घोषणा करेंगे कि उसे पुनः गिरफ्तार किया जाएगा? अगर पुनः गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, तो क्या आप यहां ऐलान करेंगे कि देश के हित में हम आज इस गठबंधन से अपने आप को अलग करते हैं, क्योंकि उन्होंने जो कार्य किया है, वह देश हित में नहीं है? अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, तो राष्ट्र आपको कभी माफ नहीं करेगा।

श्री उपसभापति: श्री जावेद अली खान। आप दो मिनट में अपना प्रश्न पूछिए।

श्री जावेद अली खान (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभापति जी, अधिकांश clarifications तो बाकी सदस्यों ने पूछ ही लिए। मैंने शुरू में ही आपको अपना नाम दिया था।

श्री उपसभापति: इसलिए आपको बुलाया।

श्री जावेद अली खान: महोदय, इसलिए मैं दो मिनट का भी समय नहीं लूंगा। मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारे देश के अंदर कश्मीर का सवाल आज से नहीं, बल्कि आज़ादी के बाद से ही बहुत महत्वपूर्ण सवाल रहा है और बहुत ही sensitive सवाल रहा है। अभी माननीय गृह मंत्री जी का जो वक्तव्य यहां सामने आया है, उसके बाद मुझे बड़ी विचित्र सी स्थिति लग रही है कि घटना के बारे में राज्य सरकार का भेजा गया जो विवरण है, उससे गृह मंत्री जी खुद संतुष्ट नहीं हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसा पहले कभी रहा होगा, अगर होगा भी तो एक-दो मौकों पर ही ऐसा हुआ होगा कि राज्य सरकार कोई सूचना भेजे और केन्द्र सरकार उससे संतुष्ट न रही हो। इसी से साबित होता है कि मामला कितना गंभीर है। यह चिंता करनी चाहिए कि जब गृह मंत्री जी या केन्द्र सरकार, राज्य सरकार के दिए गए वक्तव्य से संतुष्ट नहीं है, तो देश को संतुष्ट करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी।

महोदय, मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूँ कि यह जो आपने जम्मू और कश्मीर में सरकार बनाई है, जिसके बारे में यह दावा किया गया कि यह 'कॉमन मिनिमम प्रोग्राम' के आधार पर बनी है, लेकिन जो 'कॉमन मिनिमम प्रोग्राम' सामने आया, उसके अंदर तो separatists को, terrorists

[श्री जावेद अली खान]

को छोड़ने की बात नहीं आई, लेकिन यह बातचीत तो कोई एक दिन नहीं चली, बातचीत बहुत लंबी चली। मुझे लगता है कि यह बातचीत सिर्फ दो पार्टियों के स्तर पर या दो पार्टियों के नेताओं के स्तर पर ही नहीं चली, बल्कि शायद इसके अंदर दूसरे लोग भी रहे होंगे। मैं खास तौर से राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का नाम लेना चाहूंगा, उनके बड़े लंबे अरसे तक जो प्रवक्ता रहे *, वे इस बातचीत में शामिल थे, तो हो सकता है कि बहुत सी चीजें बीजेपी और पीडीपी के स्तर पर तय न हुई हों, आरएसएस के और मुफ्ती साहब के या वहां कोई ऐसा संगठन हो, ऐसी कोई ताकत हो, जिसके स्तर पर तय हुई हों। ...**(समय की घंटी)**...

श्री उपसभापति: आपके दो मिनट पूरे हो गए, कृपया आप अपना प्रश्न पूछिए।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रकाश जावड़ेकर): सर, जो इस सदन के सदस्य नहीं है, उसका नाम ये नहीं ले सकते हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: ठीक है, वह नाम expunge कर दिया जाएगा।

श्री जावेद अली खान: ठीक है, सर, नाम हटा दीजिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: नाम expunge कर दिया गया है। आपके दो मिनट पूरे हो गए, कृपया अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री जावेद अली खान: आखिर में, मैं यह कहना चाहता हूँ कि माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कि जम्मू और कश्मीर सरकार की जो रिपोर्ट आई है, उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। ...**(समय की घंटी)**... भारतीय जनता पार्टी का यह चलन रहा है कि अपने सहयोगियों के बयानों से, उनकी गतिविधियों से, उनके क्रियाकलापों से ये एकदम उलट जाते हैं, उनको मना कर देते हैं, disown कर देते हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: बस, अब आपका हो गया। ...**(व्यवधान)**... ठीक है, अब आप बैठिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री जावेद अली खान: कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दूसरे संगठनों के बारे में जैसा भारत में करते रहे हैं, उसी तरीके से कश्मीर के बारे में भी कर रहे हों?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Shantaram Naik; only two minutes.

SHRI SHANTARAM NAIK (Goa): Sir, I would take just two minutes.

Sir, the hon. Minister has said that he has received some information, but he is not satisfied with that information and that he has sought clarification. What is that information which you have received and which you are not sharing with this House

---

* Expunged as ordered by the Chair.

today? Is it not your responsibility to share that information too with the House? Secondly, will you treat this action as a violation of the Common Minimum Programme? You have said very clearly that there is a Common Minimum Programme. Are you going to treat this as a violation of the Common Minimum Programme? If so, what action are you going to take on that? Lastly, does the Common Minimum Programme contain any clause on national security? Also related to that is the question whether there was either a one-to-one talk or otherwise between the Prime Minister and Mr. Mufti Mohammad Sayeed on various aspects, including the Common Minimum Programme. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have already said that I will not accept new names. I have received enough names already. Shri Bhupinder Singh. You have two minutes only. ...(*Interruptions*)... No new names.

श्री भूपिंदर सिंह (ओडिशा): डिप्टी चेयरमैन सर, यह जो बात चल रही है और जो यह मुद्दा है, यह केवल जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का नहीं है, बल्कि यह पूरे देश का सवाल है और भारत के संविधान के तहत भारत राष्ट्र की एकता का सवाल है। यहाँ पर होम मिनिस्टर साहब ने कहा कि जो रिपोर्ट आई है, उससे वे सहमत नहीं हैं। सर, जब हम बाहर जाते हैं तब हमारे ही बच्चे हमसे पूछते हैं कि हम देखते हैं कि हाउस के अंदर सभी की एक ही राय होती है। इधर हम लोगों की जो फीलिंग होती है, वही फीलिंग सरकार और होम मिनिस्टर की भी होती है। हमारे साथ ये सहमत होते हैं, पूरा हाउस इसके ऊपर एकमत होता है, उसके बावजूद इसका कोई निचोड़ क्यों नहीं निकलता है, इसका कोई रिजल्ट क्यों नहीं निकलता है? हम जब यहाँ से बाहर निकलकर सेंट्रल हॉल में बैठते हैं, तब यही सवाल हमसे पूछा जाता है। इसीलिए मैं चाहूँगा कि अगर सरकार मानती है कि जम्मू एंड कश्मीर भारतवर्ष का एक अभिन्न अंग है, तो क्या इसके ऊपर सरकार कड़ा से कड़ा निर्णय ले सकती है? यहाँ अभी प्रधान मंत्री जी भी मौजूद हैं और जैसा कि अभी आपने खुद कहा कि हमारे लिए सरकार बनाना इतना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि हमें देश बनाना है। अगर आपको देश बनाना है, तो देश कैसे बनेगा? **...(समय की घंटी)...** जब जम्मू एंड कश्मीर से देश के विरुद्ध आवाज़ चलेगी और उसके ऊपर यह संसद और सरकार कुछ नहीं कर पाएगी, तो यह देश कैसे बनेगा? सर, यही एक सवाल है, जिसका जवाब हाउस को मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद।

श्री उपसभापति: त्यागी जी, सिर्फ दो मिनट।

श्री के.सी. त्यागी (बिहार): सर, मैं सिर्फ दो मिनट में अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। हमारे नेता, शरद यादव जी ने सवाल उठाया था, तो नेता सदन की तरफ मुखातिब होकर मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में लिखा हुआ है, "The coalition Government will facilitate and help initiate a substantial and meaningful dialogue with all internal stakeholders including the Hurriyat Conference." That is one. And, what does the Hurriyat Conference say in its manifesto? It says, "Jammu and Kashmir is a disputed territory. To whom are you going to talk when India's control over it is not justified?" मैं अपने तीनों नेताओं से कहना चाहता हूं कि नेहरू-लियाकत पैक्ट के बाद परमिट राज के खिलाफ

[श्री के.सी. त्यागी]

डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने वहां आन्दोलन किया था और वहीं उनकी मृत्यु 23 जून, 1953 को हुई थी। मुफ्ती जी का एजेंडा is very open to everyone; 11-सूत्री से लेकर self rule तक, मैं तीनों नेताओं से पूछना चाहता हूँ कि आपका वहां पर क्या hidden agenda है? मुफ्ती साहब ने सारी चीज़ें पहले कह दी हैं। उन्होंने कहा, ग्रेटर कश्मीर होगा, उसकी अलग मुद्रा होगी। उन्होंने कहा है कि वहां पर कश्मीरियों का राज होगा। There would be no rule of the Central Government. So, he is very clear in all these aspects. What do you have to say about it? आपका hidden agenda क्या है? जहां मुखर्जी कुर्बान हुए, वह कश्मीर हमारा है, यह बात 1953 से जनसंघ के नेता कहते थे। आज सारी मान्यताओं को तोड़कर इन्होंने वहां पॉवर के लिए unholy compromise किया। आप मुस्लिम लीग पर आरोप लगाते थे कि केरल के अंदर कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम लीग से गठजोड़ किया। नेता सदन कह रहे थे कि इनकी पार्टी ने बड़े जुल्म किए। सही कहा आपने। शेख अब्दुल्ला को इन्होंने हटाया, फारूख अब्दुल्ला को इन्होंने हटाया और कश्मीर के आज के हालात के लिए ये भी जिम्मेवार हैं, लेकिन आप तो बहुत high-moral pedestal पर politics कर रहे हैं। **...(व्यवधान)...**

श्री उपसभापति: प्रश्न पूछिए। **...(व्यवधान)...** Put the question. ...(*Interruptions*)...

श्री के.सी. त्यागी: आप भी वही काम कर रहे हैं, जो काम ये लोग करते थे। इसीलिए मैं आप तीनों नेताओं से यह कहना चाहता हूँ कि आप अपना hidden agenda देश को बताइए। देश को * मत कीजिए। मुफ्ती साहब तो अपना agenda पहले ही घोषित कर चुके।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I think* is an unparliamentary word. ...(*Interruptions*)... Okay, I will go through the records. ...(*Interruptions*)...

श्री के.सी. त्यागी: सर, मेरी बात अब खत्म हो गई।

"शिकवा कोई दरिया की रवानी से नहीं है,
रिश्ता ही तेरी प्यास का पानी से नहीं है।"

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shri Anand Sharma. Last but not the least. Do not take more time.

श्री आनन्द शर्मा (राजस्थान): उपसभापति महोदय, मैंने आज सुबह यह विषय उठाया था। अच्छी बात है, गृह मंत्री जी आए और प्रधान मंत्री जी भी सदन में हैं। गृह मंत्री जी, जैसा कि शरद जी तथा कुछ अन्य पूर्व वक्ताओं ने कहा, यह एक व्यक्ति की रिहाई तक सीमित विषय मैंने नहीं उठाया था। जम्मू-कश्मीर, जो भारत का अभिन्न हिस्सा है, वहां पिछले कुछ दिनों के अंदर हम एक के बाद एक घटनाक्रम देख रहे हैं कि अलगाववादी शक्तियां भारत की एकता और अखंडता को चुनौती दे रही हैं और उसी तरह के बड़े जलसे हो रहे हैं। मैं व्यक्ति का नाम लूँ या न लूँ, जो खुले रूप में आज़ादी की

* Expunged as ordered by the Chair.

बात करते हैं, कश्मीर को अलग करने की बात करते हैं, उनके जलसे वहां के मुख्य मंत्री के निर्वाचन क्षेत्र में भी हुए। देश की सुरक्षा के दृष्टिकोण से, उस पर यह बात बढ़े और काबू के बाहर जाए, इस पर एक चिन्ता पूरे देश को है।

मेरा आज एक प्रश्न है। कई साथियों ने आपके Common Minimum Programme का जिक्र किया। यह सही बात है कि वहां पर पीडीपी के साथ सरकार बनाने का आपका राजनैतिक फैसला है, उस पर हम कोई आपत्ति नहीं करते हैं, पर क्या आपका Common Minimum Programme राजनैतिक अवसरवादिता को इस सीमा तक ले जाता है कि देश की सुरक्षा और देश के हित से समझौता हो? इस पर स्पष्टीकरण आवश्यक बनता है। Common Minimum Programme में आपने हुर्रियत से बात करने की बात की। उसी हुर्रियत को पाकिस्तान के High Commissioner ने चाय पर बुलाया तो Foreign Secretary level की बातचीत रद्द कर दी गई। अब कौन सा आश्वासन आपको मिला है कि आपने फिर विदेश सचिव को भेजा? आप किससे बात करें या न करें, गुलाम नबी आज़ाद जी ने अभी इस बात को रखा है कि जो conciliation का प्रोसेस है, मुख्यधारा में लोग आएँ, उसके लिए सरकार कोई निर्णय करे, प्रयास करे। जो देश के हित में है, उस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है, पर एक प्रश्न उठता है। हुर्रियत से बात करने के अलावा Common Minimum Programme में जो यह है कि पाकिस्तान से बात करेंगे, वह आपत्ति का विषय है। पाकिस्तान से बात करने की आपत्ति नहीं है, वह बात तो हमको करनी है, पर जम्मू-कश्मीर राज्य में सरकार बनाने के लिए यह सहमति बनाई जाए, यह समझौता किया जाए — दूसरे देश से बात विदेश नीति के तहत होती है। आपकी कूटनीति के, diplomacy के क्या कदम हैं, वह अलग बात है। जम्मू-कश्मीर का मसला पेचीदा भी है और सम्वेदनशील भी है। कोई भी कारण रहा है, एक राज्य में सरकार बनाने के लिए यह शर्त स्वीकार करना कि वहाँ सरकार बनाने के लिए हम पाकिस्तान से बात करेंगे, यह अपने आप में एक बहुत गम्भीर बात है। यह भारत सरकार का काम है। यह देश की सरकार का काम है। **...(व्यवधान)...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay, that is all.

श्री आनन्द शर्मा: यह पूरे देश की नीति होती है। राज्य सरकार देश की विदेश नीति **...(व्यवधान)...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no, put the question. ...(*Interruptions*)...

श्री आनन्द शर्मा: मैंने वही कहा कि क्या आपने इस बात को स्वीकार किया है? अगर किया है, तो यह आपत्तिजनक भी है और दुर्भाग्यपूर्ण भी है। अगर नहीं किया, तो कृपा करके इसको न करें।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay, now * is unparliamentary. There are number of rulings. Okay.

श्री वी. पी. सिंह बदनौर (राजस्थान): सर, इसका मतलब mislead करना होता है।

---

* Expunged as ordered by the Chair.

...(व्यवधान)...

SHRI K.C. TYAGI: The word is 'mislead' and this is not unparliamentary and I stand for it. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN : I said I have referred to the book. I follow the book and it contains number of rulings.

श्रीमती विप्लव ठाकुर (हिमाचल प्रदेश): सर, **...(व्यवधान)...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no, do not question the rulings. There is already a ruling in this House. Who are you to question the ruling? There is already ruling in this House.

श्री के.सी. त्यागी: सर, इसका मतलब mislead है। **...(व्यवधान)...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Whatever it may be, it is unparliamentary. I am not a master of Hindi. But I follow this book. I am told that it is unparliamentary. There are a number of rulings and there is a ruling in the Rajya Sabha also. I follow only that. Now, the Hon. Minister.

गृह मंत्री (श्री राजनाथ सिंह) : माननीय उपसभापति महोदय, नेता प्रतिपक्ष श्री गुलाम नबी आज़ाद साहब, हमारे वरिष्ठ नेता श्री शरद जी, श्री नवनीतकृष्णन जी, श्री राजीव जी, श्री सतीश चन्द्र मिश्रा जी, श्री एच.के. दुआ साहब, श्री डी. राजा साहब, श्री प्रमोद तिवारी जी, श्री जावेद अली खान साहब, नायक साहब, श्री के.सी. त्यागी जी एवं श्री आनन्द शर्मा जी, बहुत सारे माननीय सदस्यों ने इस विषय पर अपने विचार अभिव्यक्त किए हैं। जो प्रश्न पूछे गए हैं, उनमें कुछ प्रश्न तो ऐसे हैं, जिनका उत्तर मैं दूंगा, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं, जिनका उत्तर देने के लिए मुझे नेता प्रतिपक्ष से बात करने की आवश्यकता होगी, उनसे जानकारी लेने की आवश्यकता होगी, तभी जाकर मैं उनका उत्तर दे पाऊँगा। जैसे श्री सतीश चन्द्र मिश्रा जी ने एक सवाल पूछा कि जब उसके खिलाफ 27 केसिज़ थे और सभी 27 के 27 मामलों में उसे बेल मिल गई, तो क्या वहां की राज्य सरकार के द्वारा उस बेल को खारिज किए जाने के लिए कोई प्रयत्न हुआ या नहीं हुआ? मैं आपको यह जानकारी देना चाहता हूं कि सितम्बर 2014 में, जब उसे Public Safety Act (PSA) के अंतर्गत detain किया गया था, उसके बाद वहां की जो स्टेट गवर्नमेंट थी, यानी आपकी और National Conference की जो गवर्नमेंट थी, उसके होम डिपार्टमेंट को वह सूचना दी गई, लेकिन तीन, साढ़े-तीन महीनों तक वह आपकी सरकार के पास ही पड़ी रही। उसे एप्रूवल के लिए Advisory Board के पास भेजा जाना चाहिए था, लेकिन आपकी सरकार ने उसे Advisory Board के पास नहीं भेजा। अब तो यह जो सरकार आई है, यह तो दस दिन पहले ही आई है और मैंने पहले ही बतला दिया है कि जो भी जानकारी अब तक हमें प्राप्त हुई है, उससे मैं स्वयं ही संतुष्ट नहीं हूं, मैं और अधिक जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहा हूं। जो जानकारी मुझे हासिल होगी, मैं वह जानकारी आपको दूंगा।

महोदय, जहां तक भटके हुए युवकों को मेन स्ट्रीम में लेने का सवाल है, मैं समझता हूं कि जम्मू-कश्मीर ही क्या, पूरे देश में यदि कोई भी भटका हुआ युवक मेन स्ट्रीम में शामिल होना चाहता है, तो निश्चित रूप से उसके लिए प्रयत्न करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती, चाहे सत्ता पक्ष हो या प्रतिपक्ष हो, मैं समझता हूं कि किसी को भी इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन यदि कोई देशद्रोही होगा, ऐसे देशद्रोही के साथ समझौता करने का कभी कोई प्रश्न ही खड़ा नहीं होता है।

महोदय, मैं अपने नेता प्रतिपक्ष को यह भी आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि यह जो भी परिस्थिति पैदा हुई है, पूरी जानकारी हासिल हो जाने के बाद यदि हमारी सरकार को यह महसूस हुआ कि जम्मू-कश्मीर गवर्नमेंट को कोई न कोई एडवाइज़री दी जानी चाहिए, सख्त एडवाइज़री दी जानी चाहिए, तो हम जम्मू-कश्मीर की गवर्नमेंट को एडवाइज़री देने में भी पीछे नहीं रहेंगे, यह मैं नेता प्रतिपक्ष को अपनी तरफ से आश्वस्त करना चाहता हूं।

हमारे शरद जी ने Common Minimum Programme के सम्बन्ध में जानकारी हासिल की है। शरद जी, जम्मू-कश्मीर की जो गवर्नमेंट बनी है, इसका जो Common Minimum Programme है, वैसे तो वह सारे समाचार पत्रों में प्रकाशित हो चुका है, लेकिन आपको मैं उसकी कॉपी भिजवा दूंगा। मैं यहां पर उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं।

जैसा आपने कहा, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि जो जम्मू-कश्मीर का शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव सम्पन्न हुआ है, इसका श्रेय जनता को जाता है, हम भी यह मानते हैं कि इसका श्रेय वहां की जनता को जाता है। इसके साथ ही वहां की शांति एवं व्यवस्था को बनाए रखने में वहां की हमारी सेना और अर्द्ध-सैनिक बलों को भी इसका श्रेय जाता है। उनको भी मैं इसका श्रेय देना चाहता हूं। **...(व्यवधान)...**

श्री शान्ताराम नायक : क्या पाकिस्तान को श्रेय नहीं जाता?

श्री राजनाथ सिंह : यदि आप ऐसा मानते हैं, तो उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। यह तो संसद में बहुत पहले ही मैं क्लैरिफाई कर चुका हूं कि इसका श्रेय किसको जाता है।

महोदय, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं हैं कि पीडीपी और बीजेपी के बीच वैचारिक मतभेद हैं। हमारा पीडीपी के साथ कभी भी कोई रिश्ता नहीं रहा है। रिश्ता रहा है, तो आपका रहा है, हमारे नेता प्रतिपक्ष का रहा है। उनकी पार्टी का रिश्ता लम्बे समय से उनके साथ रहा है, हम लोगों के साथ कभी भी उनका रिश्ता नहीं रहा है। जो भी रंग उनके ऊपर आज तक चढ़ा होगा, वही रंग चढ़ा होगा, जो रंग आपने चढ़ाया है। अभी तो बामुश्किल दस दिनों से हमारे साथ हैं। लेकिन...**(व्यवधान)...**

श्री आनन्द शर्मा : वाजपेयी जी के साथ में थे मुफ्ती साहब।

श्री राजनाथ सिंह : जहां तक जम्मू-कश्मीर का सवाल है, मुझे सचमुच आज बेहद खुशी हुई है यह देखकर कि जम्मू-कश्मीर के सवाल को लेकर पूरा का पूरा सदन चिंतित है और शायद जो कुछ भी मैं लोगों के जज़बात को, उनकी भावनाओं को समझ पाया हूं, उससे मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि पूरा का पूरा सदन यह मानता है कि जम्मू-कश्मीर भारत का इंटीग्रल पार्ट था, है और रहेगा, इसे दुनिया की कोई ताकत हमसे अलग नहीं कर सकती। तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं अपनी

[श्री राजनाथ सिंह]

सरकार की तरफ से और हमारे प्रधान मंत्री जी यहां पर मौजूद हैं, प्रधान मंत्री जी, इनके बिहाफ पर मैं यहां पर बोल रहा हूं। इस भारत की एकता और अखंडता के साथ खिलवाड़ करने की चाहे कितनी भी बड़ी, कोई भी ताकत क्यों न हो, उसको इजाजत नहीं दी जा सकती और चाहे उसके लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देना पड़े, हम न्यौछावर कर देने के लिए तैयार रहेंगे लेकिन देश की एकता और अखंडता के साथ खिलवाड़ करने की किसी को इजाजत नहीं देंगे। वैचारिक -आइडियोलॉजिकल डिफ्रेंसेज, वैचारिक मतभेद होने के बावजूद त्यागी जी, जम्मू-कश्मीर में यह सरकार बनी। सरकार कैसे बनी है, गलत बनी है, सही बनी है - यह एक बहस का विषय हो सकता है।...**(व्यवधान)**... उसके विषय में मैं नहीं जाना चाहता। इस पर बहस हो सकती है, चर्चा हो सकती है लेकिन फ्रेक्चर्ड मेन्डेट मिला है, जम्मू-कश्मीर की जनता ने दिया है। व्होल परसेंटेज कितना हाई था यह देखा होगा, उसकी यह उम्मीद रही होगी कि यहां कोई-न-कोई सरकार बननी चाहिए। हम सरकार न बनाते, कम से कम जम्मू-कश्मीर के हितों का ध्यान रखते हुए आप ही लोग मिलकर सरकार बना लिए होते। लम्बे समय तक आप मिलकर सरकार चला चुके हैं। मिलकर सरकार चलाने का आपका एक अनुभव है। लेकिन एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ उसके आधार पर हम लोगों ने बी0जे0पी0 और पी0डी0पी0 की मिली-जुली सरकार बना ली। जम्मू कश्मीर के हालात को कैसे सुधारा जाए, सचमुच जिस चमन को आपने उजाड़ डाला था, फिर से उस चमन को कैसे आबाद किया जाए, यह कोशिश हमारी तरफ से है।...**(व्यवधान)**...

THE LEADER OF THE OPPOSITION (SHRI GHULAM NABI AZAD): Now this is not acceptable. 1990 से लेकर 1996 तक जिस तरह के हालात वहां जम्मू-कश्मीर में थे और सेंटर में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और किस तरह से वहां इलेक्शन कराए, उसकी वाहवाही पूरी दुनिया में होती है और आप कहते हैं कि हमने वीरान कर दिया। हम बिल्कुल शेर के मुंह से उसको निकाल लाए हैं। उसके लिए आपको बधाई देनी चाहिए। अगर 1990 और 1996 के बीच में हमने काम नहीं किया होता विशेष रूप से 1991 और 1996 के बीच में, तो आज आप सरकार बनाने के काबिल नहीं होते।

श्री राजनाथ सिंह : अभी इस पर तो बहस हो सकती है कि आपकी सरकार ने क्या किया, अटल जी की सरकार थी उसने क्या किया। यह सब तो एक बहस का विषय है। इसलिए उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूं। उपसभापति महोदय, मैं यह जानकारी शरद जी को देना चाहता हूं क्योंकि इन्होंने सवाल खड़ा किया था कि पीछे क्या बात हुई है? कोई पीछे-पीछे बात नहीं हुई है। हम लोगों का कोई हिडन एजेंडा नहीं हुआ करता उपसभापति महोदय। हम लोगों का जो एजेंडा हुआ करता है, बहुत ही खुला हुआ एजेंडा हुआ करता है, छिपकर काम करने के आदी हम लोग नहीं हैं। यह तो उन लोगों से सवाल कीजिए कि जिनका हिडन एजेंडा हुआ करता हो। अपने लोगों का ऐसा कोई सवाल ही नहीं है। नायक साहब ने यह जानना चाहा कि प्रधान मंत्री और मुफ्ती साहब के बीच क्या बातचीत हुई। बातचीत क्या हुई है? शपथ ग्रहण समारोह था, शपथ ग्रहण समारोह में सामान्यतः जो भी, जिस दल के नेता, जिनकी सरकार बनती होती है वे शामिल होते हैं, वे शामिल हुए, बातचीत क्या हुई? मैं समझता हूं कि आज तक कोई ऐसी बातचीत सीधे प्रधान मंत्री जी की नहीं हुई है। जहां तक

मेरी जानकारी है किसी बड़े विषय पर मुफ्ती साहब के साथ उनकी कोई बातचीत हुई होगी, मैं ऐसा नहीं मानता। यदि होती तो निश्चित रूप से मुझे जानकारी होती।

श्री आनन्द शर्मा : आपको बतलाया नहीं होगा। कुछ तो बातचीत हुई होगी, सिर्फ बारिश और मौसम की बात थोड़ी हुई होगी? फिर आप कहते हो कि हम तो खुली बात करते हैं।

श्री राजनाथ सिंह : सामान्यतः जब बातचीत होती है प्रधान मंत्री और मुख्य मंत्री के बीच, तो मुख्य मंत्री कुछ निर्धारित मुद्दे तय करके आते हैं और उन मुद्दों पर ही प्रधान मंत्री से बातचीत करते हैं।वे उन मुद्दों पर ही प्रधान मंत्री जी से बात करते हैं। **...(व्यवधान)...** सुन लीजिए। मुफ्ती साहब, मिलने के लिए आए थे, तो चूंकि सरकार बनना तय हो गया था, स्वाभाविक रूप से इस समय जो व्यक्ति इस देश और इस दल का नेतृत्व कर रहा है, उसके साथ मिलने के लिए आए थे। जहां तक मैं समझ पाया हूं, वह सामान्य शिष्टाचार था। महोदय, प्रमोद तिवारी जी ने कहा है कि भारत की सेवाओं पर जिस व्यक्ति ने हमला किया, जिस ने देश के खिलाफ युद्ध थोपने में भूमिका निभाई, जो 101 बच्चों की मौत का जिम्मेदार है, उसे रिहा कर दिया गया। प्रमोद जी, मैंने पहले ही बता दिया था कि उस व्यक्ति के ऊपर कितने गंभीर आरोप हैं। मैंने यह भी कहा था कि उस व्यक्ति के ऊपर sedition के आरोप हैं, attempt to murder के उसके ऊपर आरोप हैं, conspiracy के उसके ऊपर आरोप हैं - ये सब गंभीर आरोप तो मैंने पहले ही बताए थे। हमने उसकी तरफदारी नहीं की, मैंने रिहा किए गए, मसर्रत आलम की तरफदारी नहीं की, मैंने उसे अलगाववादी कहा है। मैंने उसे सामान्य प्रतिष्ठित नागरिक की संज्ञा नहीं दी है। इस हकीकत को तो मैंने पहले ही स्वीकार कर लिया है। डी0 राजा साहब ने पूछा है कि क्या न्यूनतम साझा कार्यक्रम के तहत यह सरकार काम कर रही है? उन्होंने यह भी कहा है कि नहीं तो आप इस गठबंधन को तोड़ दीजिए और पूछा है कि इस में आपकी क्या भूमिका है? यह बहुत गंभीर सवाल है, लेकिन यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि राजा साहब जैसा सुलझा हुआ व्यक्ति इस प्रकार के सवाल क्यों कर रहा है? उन्होंने जानना चाहा है कि आपकी क्या भूमिका है? अरे, एक गठबंधन की सरकार बनी है, लेकिन राष्ट्र के हितों के साथ हम किसी को इजाज़त नहीं देंगे, यह आश्वासन मैं पहले भी दे चुका हूं और अब भी देता हूं। इसलिए आप उस पर संदेह मत कीजिए। कई माननीय सदस्यों ने बेगुनाहों को रिहा किए जाने के बारे में सवाल किया है। मैं समझता हूं कि जो भी बेगुनाह होंगे, जिनके मामले अदालत में चल रहे होंगे, अदालत उसका संज्ञान लेगी और वह उचित फैसला करेगी। फिर आप भी तो बताइए कि कौन बेगुनाह है, कौन जेलों के अंदर है? यदि आप कुछ तथ्यों के आधार पर बतलाएंगे कि फलां व्यक्ति बेगुनाह है और जेल के अंदर है, तो उसके लिए जो भी प्रयत्न करने की आवश्यकता होगी, हम लोग भी अपनी तरफ से प्रयत्न करेंगे।

उपसभापति महोदय, मुझे कुछ ज्यादा नहीं कहना है। अंत में मैं सभी सम्मानित सदस्यों को इतना ही आश्वस्त करना चाहता हूं कि **...(व्यवधान)...**

SHRI H. K. DUA: Mr. Deputy Chairman, Sir,... ...*(Interruptions)*...

श्री राजनाथ सिंह : जम्मू और कश्मीर की सुरक्षा के प्रश्न पर किसी भी प्रकार का समझौता करने का कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No clarifications over clarifications. Clarifications are over.

DR. E. M. SUDARSANA NATCHIAPPAN (Tamil Nadu): In this particular case, Sir, I would like to ask of the hon. External Affairs Minister whether there will be a continuation of the policy which was taken up by Dr. Manmohan Singh's Government, that there will not be any shooting incident between the Sri Lankan Navy and the fishermen and if there are any consequences, then, there will be a talk between the High Commissioners and further steps will be taken for repatriation of fishermen instead of going for shooting incident. The Prime Minister of Sri Lanka has said that 'we are ready to shoot the people who are violating the territorial waters'. Did you get this clarification when you were having a talk with them? Secondly, Madam, we would like to ask about the rehabilitation and resettlement of the internally displaced persons and also the refugees who are living in Sri Lanka and the refugees living outside Sri Lanka, who are in Tamil Nadu and many parts of India, to be rehabilitated and resettled there with their own properties, lands, houses and other properties which were left by them when they came as refugees to India. Thirdly, I would like to know whether the Prime Minister's visit will cover up any agreement to continue the process of reconstruction of Trincomalee, Kankesanthurai ports which were already taken up by the earlier Government. And, whether it will cover the Port of Galle, so that we can, strategically and logistically, face the situation of the Silk Route in the sea.

Finally, I would like to know from the hon. Minister whether there will be an agreement for a road bridge on sea link between Talaimannar and Rameswaram which was one of the UNESCAP proposal. Thank you.

श्री के.सी. त्यागी (बिहार): उपसभापति जी, मंत्री महोदया ने अपने वक्तव्य में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक पॉलिसी 'डीप-सी फिशिंग' का जिक्र किया है। यह कण्ट्री की जो एक्सक्ल्यूसिव इकॉनॉमिक जोन पॉलिसी है, उसके तहत है और इस समस्या की जड़ में यही बड़ा कारण है। प्रधान मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में एक बार जिक्र किया था कि blue revolution भी होना है। कभी पिंक है, कभी ब्ल्यू है, कभी व्हाइट है, कभी ग्रीन है। मैंने इस ब्ल्यू रिवॉल्यूशन को पढ़ा, तो यह पाया कि इंडियन कॉउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च में बोलते हुए उन्होंने कहा था कि डीप-सी में जाकर इंटरनेशनल मल्टीनेशनल जो कॉर्पोरेशंस हैं, उनकी ट्रॉलीज के जरिए फिशिंग का काम होगा। इस देश के लाखों-लाख मछुआरों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इस नीति के खिलाफ कई दिन तक हड़ताल की, क्योंकि जो फिशरमैन हैं, उनकी बोट के जरिए जाने की एक सीमा होती है। When you invite multinational corporations' trolleys for fishing, वे अंदर डीप-सी में जाकर मछली पकड़ने का काम करते हैं, जिससे देश के सभी मछुआरे बरबाद हो गए हैं। अगर पुडुचेरी के कोई सांसद यहां पर हों, या तमिलनाडु के हों, वे जानते होंगे कि इसके खिलाफ हड़ताल चल रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की यही पॉलिसी है, जिसकी वजह से बेसहारा, लाचार जो फिशरमैन हैं, उनको डीप-सी में जाना पड़ता है, जो इलाका डिस्प्युटेड हो चुका है। मेरा निवेदन है कि जो कमेटी बनी, जिसकी रिपोर्ट बनी, वैसे आजकल कमेटियां बहुत बनती हैं, उसमें headed by Dr. Meenakumari, Deputy Director General of Fisheries, उसने किसी फिशरमैन के

ऑर्गेनाइजेशंस से कभी कोई बात नहीं की कि क्या इस तरह की जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस की ट्रॉलीज हैं, उनको इंटरनेशनल डीप-सी में जाने की इजाजत मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए।

उपसभापति जी, 20 तारीख भुवनेश्वर में काफी मुल्कों के मिनिस्टर्स की, ऑर्गेनाइजेशंस की मीटिंग होने वाली है, जिसमें माननीय मंत्री महोदया जाने वाली हैं। तो जो वह विवाद की जगह श्रीलंका और भारत के बीच में पैदा हुई है, जो भारत से जोन निकालकर वहां भेज दिया गया है, उस पर क्या वे बात करेंगी? दूसरा, पाकिस्तान के पास इस समय जो हमारे 48 मछुआरे बंद हैं। ये मछुआरे रोजगार की तलाश में थे। इसके साथ यह समस्या भी जुड़ी हुई है, जो हर चीज में आप ग्लोबलाइजेशन ला रहे हैं । यह खाना बनाने के लिए भी ग्लोबलाइजेशन आएगा और पार्लियामेंट का भी एक दिन ई-पार्लियामेंट हो जाएगा, यानी अपने घर बैठे रहो और वहीं से अपने सवाल पूछ लो और घर पर ही आपके जवाब चले जाएंगे, यानी इस पार्लियामेंट की भी जरूरत नहीं पड़नी। यह जो मल्टीनेशनल का आया है, मेरा मंत्री महोदया से निवेदन यह है कि इस पॉलिसी को वे दुबारा रिव्यू करें और हिंदुस्तान के कई करोड़ मछुआरे थोड़ी-थोड़ी मछलियां पकड़ कर काम करते हैं, उनके रोजगार पर, उनके पेट पर लात न मारी जाए। उसी के पेट पर लात मारना, I think, it is not unparliamentary. हमारे यहां तो गांव में कहावत है - 'नाच न जाने आंगन टेढ़ा '। आप कहेंगे कि यह भी अनपार्लियामेंटरी है। एक दिन अनपार्लियामेंटरी पर बहस हो जाए कि कौन-कौन से शब्द अनपार्लियामेंटरी हैं। अनपार्लियामेंटरी पर इतनी मोटी किताब यहां पर बनी हुई है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You seek clarifications.

श्री के. सी. त्यागी: सर, मेरा निवेदन यह है कि इस पॉलिसी को रिव्यू किया जाए, जो डीप-सी वाली है। दूसरा, जो भुवनेश्वर में कॉफ्रेंस होने वाली है, उसमें मंत्री महोदया जाकर भारत का जो कंट्रोवर्सी वाला इलाका श्रीलंका में गया है, उस पर बात करें। तीसरा, जो वहां के प्रधान मंत्री ने जिस तरह का वक्तव्य माननीय मंत्री महोदया के रहते हुए वहां पर दिया है, this is very shameful और मैं चाहता हूँ कि प्रधान मंत्री जी तमिल नेशनल्स के साथ जो बर्ताव हो रहा है, जिस तरह के ह्यूमन राइट्स के मामले उजागर हुए हैं, उनको उस बारे में अपनी विदेश यात्रा के दौरान भी सोचना चाहिए, जैसे उन्होंने मालदीव के बारे में सोचा है। धन्यवाद।

SHRI A. NAVANEETHAKRISHNAN (Tamil Nadu): Mr. Deputy Chairman, Sir, I thank you. The Sri Lankan Prime Minister has declared that Indian fishermen would be shot dead. When he said that, our Indian sovereignty is under challenge. My humble submission to this House is that the Indian sovereignty is under challenge. The only permanent solution is to retrieve the Kachhatheevu. Kachhatheevu was part and parcel of India. But, erroneously, wrongly, it has been seceded to Sri Lanka. Our hon. Amma has moved the hon. Supreme Court long back for a declaration that seceding Kachhatheevu is illegal and to retrieve back Kachhatheevu immediately. The Central Government must take appropriate steps to retrieve back Kachhatheevu. Then only there would be a permanent solution. We don't think that it is a Tamil fishermen issue. It is an issue of Indian fishermen. Suppose a person from Kerala is shot dead,

[Shri A. Navaneethakrishnan]

it becomes a very big issue. The State Government takes it up very seriously and the Central Government also supports it. When the Tamil fishermen are being shot dead, the Central Government is not taking care of it.

I humbly request the Central Government to do the needful. Already, hon. Amma has moved the Supreme Court. The Central Government too should support the writ petition filed by hon. Amma to retrieve back Kachhatheevu. Thank you, Sir.

SHRI T.K. RANGARAJAN (Tamil Nadu): Mr. Deputy Chairman, Sir, I thank you. Sir, I am not convinced by the Statement made by the External Affairs Minister, Shrimati Sushma Swaraj. The entire House, several times, discussed about the Sri Lankan issue. We are very much concerned about the Sri Lankan issue and our fishermen's issue. When our External Affairs Minister was there, the Prime Minister of Sri Lanka gives an interview to a Tamil Channel. Now, that interview is in the minds of the Tamil people. He said that he can shoot them. How do our Coast Guard behave with the Sri Lankan fishermen? We never do any harm to any fishermen. We treat them humanely. As they cross the territory, we arrest them and that is all. We don't damage their boats. But the way in which the Sri Lankan Government, either the Rajapaksa Government or this new Prime Minister's, behaves, it creates doubts. Are they really for conciliation? Are they really for a settlement? My worry is, now our Prime Minister is going to visit that country. Suppose they behave in the same manner; the Prime Minister may agree with our External Affairs Minister in camera meeting, nobody knows beyond that. So, it is ill-treatment of our External Affairs Minister and India by the Prime Minister of Sri Lanka.

My second point is, when our Prime Minister goes there, he should discuss about the Rajiv-Jayawardene Agreement. Still, they are not prepared to implement anything on it, on displaced families, as Mr. Natchiappan said here. I agree with all of his points. So, what are you going to achieve through our Prime Minister's visit to Sri Lanka? We may put some capital investment there. We may have some trade relationship. That is all good, I don't disagree on it. But the Tamils who have been suffering for the past 30 years have lost their power; they have lost their language. They are our neighbours. You must remember the sentiments of this House and the sentiments of the Tamil people on the Sri Lankan Tamil issues.

Finally, I request our Prime Minister to visit the plantation Tamils, which Sushmaji visited during our trip. They are our people. We are giving them a lot of help. Further help should be given to them. With these words, I again request our External Affairs Minister to give more clarification on what she discussed with the Prime Minister and the Government.

SHRI S. THANGAVELU (Tamil Nadu): Sir, though there is a change in the Government, the plight of fishermen, particularly from Tamil Nadu, remains the same. Fishermen don't enter the international territory voluntarily. There are so many factors which influence their movement in the high sea like wind, water movement, etc. Under these circumstances, the Statement made by the Sri Lankan Government will influence the bilateral relations between India and Sri Lanka. I would like to know from the Minister as to what steps they propose to take in this regard.

Secondly, I want to know whether this issue is being given more attention, particularly during the hon. Prime Minister's visit to Sri Lanka.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you very much. Shri Rajeev Shukla.

श्री राजीव शुक्ल (महाराष्ट्र) : उपसभापति जी, इसमें कोई शक नहीं कि अपनी तरफ से सुषमा जी * निश्चित रूप से कोशिश करती रहती हैं और वहां जाकर **...(व्यवधान)...**

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : * क्या है भाई? **...(व्यवधान)...**

श्री राजीव शुक्ल : आप क्यों हर, वह * मंच तक नहीं चढ़ पा रही हैं। आपने * बना चीज़ में बोलते हैं? **...(व्यवधान)...**

श्री रवि शंकर प्रसाद : यह कौन सा शब्द है? **...(व्यवधान)...**

श्री राजीव शुक्ल : आपको क्या आपत्ति है? आपने ही उनको * बना दिया है। **...(व्यवधान)...** आपने उनको* बना दिया है। सब लोग उनको यही बोलते हैं कि जिस विदेश मंत्री को ओबामा की बगल में बैठना चाहिए, वह * मंच तक नहीं चढ़ पा रही हैं। आपने * बना दिया उनको। किसी और सरकार में विदेश मंत्री का ऐसा हाल नहीं होता था, जो इस सरकार में विदेश मंत्री का हाल हुआ है, इसलिए *शब्द अपने आप मुंह से निकलता है, हम रोक ही नहीं पाते हैं। यह स्वाभाविक expression है। तो वे अपनी तरफ से कोशिश कर रही हैं, उन्होंने प्रधान मंत्री जी के सामने भी रखा। **...(व्यवधान)...**

श्री रवि शंकर प्रसाद : सर, इतने *मंत्रियों से ये दस साल तक used to रहे हैं कि वह शब्द उनके मुंह से जाता नहीं है, समस्या यह है। **...(व्यवधान)...**

श्री राजीव शुक्ल : हमारे यहां किसी मंत्री को * नहीं कहते थे। **...(व्यवधान)...**

श्री रवि शंकर प्रसाद : आपके यहां तो प्रधान मंत्री को ही कहा करते थे, क्या बोल रहे हैं आप? शांत होइए, अपनी बात कहिए। **...(व्यवधान)...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Rajeev Shuklaji, come back to the subject.

श्री राजीव शुक्ल : सर, मैं बोल रहा हूं, शुरुआत तो करने दीजिए। **...(व्यवधान)...**

SHRI P. RAJEEVE (KERALA): Sir, it is not External Affairs, it is Home Affairs.

---

* Expunged as ordered by the Chair.

श्री राजीव शुक्ल : सर, सुषमा जी ने अपनी तरफ से वहां टेकअप किया ...(**व्यवधान**)... जैसे राजा का गोरखपुर से क्या ताल्लुक है या जम्मू-कश्मीर से है? तो मेरा सुषमा जी से यह पूछना है कि देखिए, प्रधान मंत्री की यात्रा होने वाली है और प्रधान मंत्री की यात्रा के पहले इस तरह का बयान वहां देना, उसके shoot at sight orders दिए जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि भारत सरकार को गंभीरता से लेना तो समाप्त हो गया है। मुझे लगता है, यह स्ट्रेटेजी कि शपथ ग्रहण के समय सबको बुलाकर रेड कार्पेट वेलकम दिया गया, इसलिए सब भारत को हल्के में ले रहे हैं और भारत की जो धमक होती थी, हनक होती थी, वह कमज़ोर होती चली जा रही है। इसलिए प्रधान मंत्री की यात्रा के पहले ऐसा बयान, मुझे लगता है कि पूरे देश के मुंह पर यह एक थप्पड़ है और उसको कितनी कड़ाई से सुषमा जी ने वहां पर रखा है, यह मैं उनसे जानना चाहूंगा। इसका categorical , उनका क्या response था, यह भी मैं उनसे जानना चाहता हूं।

तीसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है, वह यह है कि जो श्रीलंका के फिशरमैन हैं, जो हमारी सीमा का वॉयलेशन करते हैं, क्या हमने भी उनको गोली मारने के आदेश दिए हुए हैं? हम उनके साथ क्या व्यवहार करते हैं और कितने हमारे कब्ज़े में हैं? इस मामले में कम से कम पाकिस्तान की सरकार कुछ सहूलियत दिखाती है कि अपने आप लोगों को वापस कर देती है, लेकिन श्रीलंका की सरकार की तरफ से इस तरह का बर्ताव नहीं हो रहा है। श्रीलंका के फिशरमैन जो हमारी सीमा का उल्लंघन करते हैं, उनके बारे में हमारी पॉलिसी क्या है, यह मैं सुषमा जी से जानना चाहता हूं और वहां के प्रधान मंत्री से उनकी क्या स्पष्ट बात हुई और कितना categorical उन्होंने दिया, क्योंकि उनके सिस्टम में प्रेज़िडेंट की ज्यादा चलती है, यह भी बताने का कष्ट करें।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Rajeev Shuklaji, * attributed to the Minister is unparliamentary. I am expunging it.

श्री किरनमय नन्दा (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभापति जी, माननीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी ने जो बयान दिया है और जो सुझाव दिए हैं, मैं उनसे सहमत नहीं हूं। मेरा जो एक्सपीरिएंस है, मैं तीस साल बंगाल में मत्स्य मंत्री रहा हूं। इसके बारे में मेरी बहुत जानकारी भी है। आज तमिलनाडु के साथ श्रीलंका की जो समस्या पैदा हुई है, यह समस्या केवल तमिलनाडु-श्रीलंका की समस्या नहीं है।

यह समस्या गुजरात के साथ पाकिस्तान की भी है, यह समस्या बंगलादेश के साथ वैस्ट बंगाल की भी है। यह बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। आज यह समस्या क्यों पैदा हुई? आज से पंद्रह साल पहले केंद्र सरकार ने जो नीति बनाई थी, उसके कारण यह समस्या पैदा हुई। Exclusive economic zone में हम लोगों के मछुआरों को फिशिंग का राइट था। जब foreign trawler को चार्टर करने की परमिशन दे दी, तब फॉरेन ट्रॉलर्स ने हमारी एक्सक्लूसिव ज़ोन में आकर फिशिंग करना शुरू कर दिया। आप रिपोर्ट में देखिए, डे बाय डे, हमारे समुद्र से जो मछली पकड़ते हैं, जब समुद्र में मछलियां बहुत कम हो गयीं तो उन मछुआरों को बहुत सी समस्याएं पैदा हो गयीं। Coastal fishing is declining day by day. इसलिए जो पश्चिमी बंगाल के मछुआरे हैं, वे कभी कभी बंगलादेश में

---

* Expunged as ordered by the Chair.

चले जाते हैं, जो गुजरात के मछुआरे हैं, वे कभी-कभी पाकिस्तान में चले जाते हैं और जो तमिलनाडु के मछुआरे हैं, वे कभी-कभी श्रीलंका की ज़ोन में चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं क्योंकि उनकी रोजी-रोटी वही है। हमारे हिन्दुस्तान की जो exclusive economic zone है, उसमें डे बाय डे मछली बहुत कम हो रही है, इसलिए चले जाते हैं। वहां पर दो समस्याएं हैं। जब तूफान आता है, जिसको हम लोग कोस्टल डिप्रेशन बोलते हैं, जब डिप्रेशन आता है, तब मछुआरे क्या करेंगे? उस कोस्टल डिप्रेशन में उनकी नाव कभी श्रीलंका में चली जाती है, कभी पाकिस्तान में चली जाती है और कभी बंगलादेश में चली जाती है। आज श्रीलंका के प्रधान मंत्री ने जो बयान दिया, कल पाकिस्तान के प्रधान मंत्री वही बयान देंगे, फिर बंगलादेश के प्रधान मंत्री वह बयान देंगे कि हिन्दुस्तान के, पश्चिमी बंगाल के मछुआरों के वैसल्स बंगलादेश में आ जाएंगे, गुजरात के मछुआरों के वैसल्स पाकिस्तान में घुस जाएंगे और तमिलनाडु के वैसल्स श्रीलंका में घुस जाएंगे... श्रीलंका के प्रधान मंत्री ने तो बयान दे दिया। इस तरह से तो बहुत समस्या पैदा होगी। इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।..**(समय की घंटी)**.. सर, मैं एक मिनट और लूंगा। जो सुझाव दिया गया, प्रधान मंत्री जी ने deep-sea fishing का सुझाव दिया। deep-sea fishing किसको बोलते हैं, आप जानते हैं! कहां deep-sea fishing ट्रॉलर हैं? कहां से हमारे मछुआरे deep-sea fishing लेकर आएंगे? मैंने विदेश में जाकर देखा, deep-sea fishing किसको बोलते हैं। एक deep-sea fishing के लिए 600 करोड़ रुपए लगते हैं। हमारे मछुआरे इतने गरीब आदमी हैं, उनको एक छोटा ट्रॉलर नहीं मिलता है, नाव भी नहीं मिलती है और आप सुझाव देते हैं कि हमारे मछुआरे deep-sea fishing करेंगे? ...**(समय की घंटी)**... वहां से मल्टी नैशनल कम्पनी ...**(समय की घंटी)**...

श्री उपसभापति : ओके। ठीक है। तीन मिनट हो गए हैं। अब बस करिए।

श्री किरनमय नन्दा : deep-sea fishing करेंगे। मैं पहले केन्द्र सरकार से अनुरोध करूंगा कि ...**(समय की घंटी)**... मल्टी नैशनल कम्पनी को फिशिंग करने के लिए जो लाइसेंस दिया है, उसे टोटली कैंसिल करना पड़ेगा, नहीं तो हमारे मछुआरों की कोई समस्या सॉल्व नहीं होगी।

श्री शरद यादव (बिहार) : उपसभापति महोदय, मैं दो-तीन बातें कहना चाहता हूं। जो तमिलियन्स का मामला है, वह बहुत गंभीर है। बीच में जो ये सवाल उठ जाते हैं, जिन पर हमारे लोग बहुत गंभीर होते हैं, मेरा यह मानना है कि तमिलियन्स के मामले में जिस तरह की विकट परिस्थिति श्रीलंका के भीतर हुई है, एक तो बड़ा मामला वह है। अभी पश्चिमी बंगाल के माननीय सदस्य बोल रहे थे। जो deep-sea fishing है, वह अकेले deep-sea में नहीं होती है, जो हमारी इकनॉमिक ज़ोन है, उसके भीतर भी बड़े पैमाने पर फिशिंग होती है। यह देश ऐसा नहीं है जहां पर फिशरमेन की आबादी मामूली हो। वह मामूली नहीं है, बहुत बड़ी है। मैं समझता हूं कि इस मामले में दुनिया भर की नकल करने की जरूरत नहीं है। जो deep-sea fishing है, इससे बड़ी समस्या, जो ट्रॉलर्स हैं और deep-sea fishing करने वाले लोग हैं, वे इकनॉमिक ज़ोन में घुसकर फिशिंग करते हैं। मैं मानता हूं कि आपने उसी समय बात कर ली है और क्योंकि आपने खुद ही इस मामले को उठाकर वहां बात कर ली है, इसलिए मुझे ऐसा महसूस होता है और मैं मानता हूं कि आपने इसको संजीदा तरीके से भारत की तरफ से उठा दिया है। अब आगे तमिलियन्स के मामले में और फिशरमेन के मामले में आपको नहीं, भारत सरकार में जो भी इस विभाग के मंत्री हैं, उन्हें बड़ा ध्यान देकर, उसके बाद सरकार को

[श्री शरद यादव]

पॉलिसी बनानी चाहिए, जिससे फिशरमेन की जैसी तबाही हुई है, वह। न हो। फिशिंग उनका इतना बड़ा रोज़गार है, इतना बड़ा पेट का धंधा है, उस तबाही के बाद वे कहां जाएंगे? इसलिए भारत सरकार को इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए, यही मेरा आपके माध्यम से निवेदन है।

SHRI K.N. BALAGOPAL (Kerala): Sir,... ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no; I have the names, which I have already got. You please sit down. ...(*Interruptions*)... Shri Narendra Kumar Kashyap.

SHRI K.N. BALAGOPAL: Sir, my name is there.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Your name is not here. ...(*Interruptions*)... It is not here; nobody has given it.

SHRI K.N. BALAGOPAL: Sir,... ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Narendra Kumar Kashyap, I called you. ...(*Interruptions*)... You sit down. Your name is already here. Let me dispose of the names which I am already having. ...(*Interruptions*)... Yes, Mr. Kashyap.

श्री नरेन्द्र कुमार कश्यप (उत्तर प्रदेश): उपसभापति महोदय, जुल्म, ज्यादती का यह दौर हमारे देश में पिछले कई दशक से लगातार चल रहा है, चाहे तमिल से जुड़ा हुआ मामला हो या किसी सूबे से जुड़ा हुआ मामला हो। हमने अपने देश में इस बात को महसूस किया है कि जब भी कोई तूफान आता है या सुनामी आती है, जब भी मछुआरे अनचाहे मौसम में किसी और देश की सीमा में enter हो जाते हैं, तब उन पर जानलेवा हमला होता है, उनकी हत्या होती है या उनको बंधक बना लिया जाता है।

उपसभापति महोदय, मछुआरों का दूसरे देश की सीमाओं में प्रवेश करने का न तो कोई इरादा होता है, न कोई इच्छा होती है, मजबूरी हो सकती है और हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया से यह जानकारी चाहते हैं कि यह आज की समस्या ही केवल डिस्कशन के लिए काफी नहीं है। अगर उनके पास उत्तर हो, तो बताएं कि पिछले 15 सालों में हमारे देश के कितने मछुआरे ऐसे हैं जिनको दूसरे देशों में बंधक बनाया गया या जिन पर हत्या के आरोप लगे या जिनकी हत्या हुई ? जब हमारे पड़ौसी देश भारत की सरकार का इरादा जान जाते हैं या विदेश नीति में कहीं छोटी-मोटी चूक हो रही है, तो हमारे पड़ौसी देश के लोग या देश के मुखिया कोई न कोई ऐसा बयान, कोई न कोई ऐसा इरादा घोषित करते हैं जिससे हमारे देश के मछुआरों में कहीं न कहीं आतंक का माहौल पैदा होता है।

उपसभापति महोदय, श्रीलंका के प्रधान मंत्री जी अगर गोली मारने जैसा बयान भारत के मछुआरों के संबंध में दे रहे हैं, तो सदन इसका मतलब क्या समझता है? **...(समय की घंटी)...** सरकार इसके पीछे श्रीलंका के क्या मायने समझती है? मैं यह समझता हूं कि यह श्रीलंका के प्रधान

मंत्री जी की भारत के मछुआरों को कहीं न कहीं उनके कारोबार से, उनके जीवन से अलग करने की धमकी है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया से दो प्रश्न पूछना चाहता हूं कि पिछले 15 वर्षों में हुए सारे हमलों के बारे में, हत्याओं के बारे में जानकारी दें और भविष्य में कोई हमारा पड़ौसी राष्ट्र हमारे देश के मछुआरों के खिलाफ सरेआम गोली मारने जैसी घटना, उनके खिलाफ गलत कार्यवाही करने जैसी घटना न घटित कर सके, इसके बारे में सरकार की क्या ठोस नीति होगी? आप इस पर भी जवाब देने की कृपा करें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI D. RAJA (Tamil Nadu): Sir, the interview given by Sri Lankan Prime Minister to a Tamil channel, Thanthi TV, is outrageous and highly deplorable. Our hon. External Affairs Minister, Sushmaji, has told us that she took up this issue with the Prime Minister. She also informed the House that there would be a meeting among fishermen of two countries on 15th. It is a different thing. I am raising a political issue; what is the attitude, what is the position of Sri Lankan Government towards the Indian fishermen? What Mr. Ranil Wickramasinghe has said cannot be accepted. It should be condemned, in fact, because he says that Indian fishermen will be shot dead if they cross the international, the Indian waters! Madam Minister, I am not saying that it is a Tamil issue. This is number one. Number two, it is an Indian issue. They are Tamil-speaking fishermen but they are Indians. They are our citizens and you have the responsibility to protect our citizens. Number two, the Kachchatheevu Agreement is a bilateral agreement. In 1974 and 1976, we entered into that Agreement. Now that Agreement has failed to protect the traditional fishing rights of Indian fishermen. So, the Government must demand the reopening of that Agreement, renegotiation of that Agreement. If the Government of Sri Lanka does not agree to that, then, the Government should say that the Government of India will strive for retrieving that island. That should be our position. The Government should also review the position of the previous Government. I had taken up this issue with Mr. S.M. Krishna, the then External Affairs Minister in the previous Government. I also took up the issue with Shri Sharad Pawar, when he was the Minister for Agriculture. And, what had they written to me? They had written, "The access to the Katchatheevu should not be understood that it covers the fishing rights of the Indian fishermen." If that's so, what is that Agreement? Is the present Government prepared to review the position of the previous Government and change India's position *vis-à-vis* the Katchatheevu Agreement? This is what I am asking. The Government should explain to us as to what it is going to do. What are its short-term efforts to find a solution to this problem? (*Time-bell rings*) What are its long-term efforts to find a solution to this problem? ...(*Interruptions*)... Meetings between the fishermen of two countries can be a short-term solution. But in order to find a long-term solution, you will have to take up the Katchatheevu Agreement for renegotiations. (*Time-bell rings*) You should tell the Government of Sri Lanka that they cannot treat the Indian fishermen like this. (*Time-bell rings*) They cannot act against the accepted international conventions, the UN Conventions, as far as human beings are concerned. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. Now take your seat. ...(*Interruptions*)... Shri Tarun Vijay. ...(*Interruptions*)...

SHRI D. RAJA: What has the present Government been doing against ...(*Interruptions*)... The change of the Government in Sri Lanka has not stopped ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Raja, now please stop. ...(*Interruptions*)... Mr. Raja, your time is over. ...(*Interruptions*)... Mr. Raja, your time is over. ...(*Interruptions*)...

SHRI D. RAJA: The Government should understand ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Raja, your time is over. ...(*Interruptions*)... Mr. Tarun Vijay. ...(*Interruptions*)...

श्री तरुण विजय (उत्तराखंड) : उपसभापति जी, मैं माननीय मंत्री महोदय का अभिनन्दन करता हूं कि श्रीलंका के प्रधान मंत्री द्वारा एक अवांछित और बहुत ही extreme language इस्तेमाल करते हुए बयान दिया गया, इन्होंने उस मामले को तुरंत उठाया। वहां पर भारतीय मछुवारे इतनी तकलीफ में हैं, distress में हैं, और जिनको उन्होंने धमकी दी थी, माननीय मंत्री जी ने उनको सुरक्षा कवच प्रदान करने का पूरा आश्वासन दिया है, लेकिन उपसभापति महोदय, we completely empathize and sympathize with our Indian fishermen, who are Tamil-speaking and working in those areas under very, very trying circumstances. I would like to know from the hon. External Affairs Minister as to what kind of mechanism they have in mind so that the recurrence of such unfortunate incidents can be stopped in future. These incidents create a very bad atmosphere and badly affect our bilateral relations. Many of the families of our Indian fishermen, Tamil-speaking fishermen, have got devastated because of the bad attitude of the Sri Lankan authorities. What kind of a mechanism can we think so that the recurrence of such incidents can be stopped and we can move ahead to strengthen our bilateral relations and give a protective shield to the Indian fishermen, who are Tamil-speaking?

SHRI MANI SHANKAR AIYAR (Nominated): Sir, I have seven questions to put to the hon. Minister of External Affairs. But because time is limited, I will have to put them telegraphically.

Question No. 1: Did the External Affairs Minister tell the Prime Minister of Sri Lanka that he has destroyed the welcome accorded in India, and particularly in Tamil Nadu, to the victory of the coalition, headed by the Shri SIrisena, the President of Sri Lanka?

Question No.2: Did the hon. External Affairs Minister tell the Prime Minister

of Sri Lanka that his Statement is a gross infraction of the agreement between the then Prime Minister, Dr. Manmohan Singh and the then President of Sri Lanka, Shri Rajapaksa?

Question No. 3: Did the hon. External Affairs Minister tell the Prime Minister of Sri Lanka that the law does not permit him to shoot an intruder who enters into his house? Our fishing boats are unarmed. They are not there to conduct aggression on the Sri Lankan Navy or on the Sri Lankan territory. It would be against the law for Mr. Ranil Wickremasinghe to kill an unarmed intruder who enters his house. Therefore the parallel that he himself has drawn is completely misplaced. Did you take this up with him?

Fourthly, did the External Affairs Minister warn the Sri Lankan Prime Minister that if he does not withdraw his threat of murder, the matter can be agitated in international forums, and if not, why not?

My fifth question is: Did the External Affairs Minister tell the Sri Lankan Prime Minister that pending arrangements for thousands of Sri Lankan and Indian fishermen to go in for deep-sea fishing, it will take both an enormous amount of investment and considerable time to acquire the necessary vessels and train fishermen in deep-sea fishing; and, that, in the meanwhile, there must be viable interim arrangements?

Sixth, did the hon. External Affairs Minister prepare or at least draft a calendar for talks between the Associations of Sri Lankan and Tamil fishermen designed to render this process of conversation between the two sets of fishermen uninterrupted and uninterruptable? This is a key requirement. All the talks have been frequently sabotaged, sometimes by the State Governments and sometimes by the Central Government. What we need is both uninterrupted and uninterruptable talks and a guarantee that whatever conclusions they come to will be ratified by both the Governments. Did she take this up? (*Time-bell rings*)

My final question, Sir, is: Did the External Affairs Minister tell the Sri Lankan Prime Minister that the Prime Minister, *i.e.* the Indian Prime Minister, cannot visit Sri Lanka until he publicly retracts his threat to kill innocent, unarmed Indian fishermen? If not, why not?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. See, I have four names which I got very, very late; yet, I am allowing one minute each only. After one minute, I will ring the bell.

श्री चुनीभाई कानजीभाई गोहेल (गुजरात) : माननीय उपसभापति महोदय, यहां पर माननीया मंत्री जी स्वयं बैठी हुई हैं, मैं अपने हिन्दुस्तान के मछुआरों की कुछ व्यथा उन तक पहुंचाना चाहता हूं।

[श्री चुनीभाई कानजीभाई गोहेल]

सर, स्टेट गवर्नमेंट ज़ीरो से लेकर 30 नॉटिकल माइल्स तक फिशिंग में जाने की परमिशन देती है। 30 किलोमीटर के बाद जाने की पावर सैंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। रीसेंटली गुजरात से लेकर बंगलुरु तक, पूरे हिन्दुस्तान के सभी फिशरमेन ने स्ट्राइक की थी। यहां पर अभी जो deep sea fishing की बात चल रही है, deep sea fishing में 30 किलोमीटर से आगे की परमिशन दी जाती है। छोटे-छोटे हजारों मछुआरे फिशिंग के लिए अपनी-अपनी बोट्स लेकर जाते हैं, उसी से वे अपना घर-बाहर चलाते हैं, बच्चों को पालते हैं। जो deep sea fishing की बोट्स होती हैं, वे फॉरेन से आती है और वे रात में 30 किलोमीटर के अन्दर आकर भी फिशिंग करती हैं और सब कुछ लेकर चली जाती हैं। इसके कारण जितने भी लोकल मछुआरे हैं, वे फिशिंग कर ही नहीं पाते हैं, उनको कुछ माल मिलता ही नहीं है।

माननीय मंत्री महोदया जी से मेरी यह विनती है कि deep sea fishing वालों को आप जो परमिशन देते हैं, उनकी वह परमिशन कैंसल करके आप अपने हिन्दुस्तान के छोटे मछुआरों की तरफ ध्यान दें और deep sea fishing वालों की परमिशन को कैंसल करें।

SHRI K. N. BALAGOPAL : Sir, I want to know whether the Government will take any step to have an inter- Ministerial meeting of all the SAARC countries, because this is related to all the neighbouring countries. Sri Lankan issue is there. Even some boats (of Kerala fishermen) went up to Bangladesh and Pakistan side. So, the same issue was there about Kerala fishermen also. I want to know not about the Sri Lankan Government alone, but also the Enrica Lexie issue, the Italian marines that fired our fishermen. ..(*Interruptions*).. That is also there.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no; that is not allowed. ...(*Interruptions*)..

SHRI K.N. BALAGOPAL: Sir, one important point...(*Interruptions*)..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is not allowed. ...(*Interruptions*).. You cannot bring such.....(*Interruptions*)..

SHRI K.N. BALAGOPAL: Sir, I am not....(*Interruptions*)..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Seek a clarification on this issue. ..(*Interruptions*).. No. ...(*Interruptions*).. You can raise this issue when the Budget discussion comes, not now. ...(*Interruptions*)..

SHRI K.N. BALAGOPAL: As regards the Statement made by Shri Kiranmay Nanda, it gives a very good picture about the fishermen issue in the country. Sir, now, I want to seek one more clarification. I want to mention one more thing. In future, more attacks may be there if the Meenakumari Commission Report is implemented totally. Deep sea vessels from other countries will come and catch all the fish in Indian

territories or near foreign territories. Now if the fishermen of this country would go and attack the foreign vessels, the issue will become much more serious; and it will turn into an international issue. So, I want to know whether the Government, the Ministry, will look into the seriousness of the Meenakumari Commission Report about the deep sea fishing. That is what I want to ask.

डा. अनिल कुमार साहनी (बिहार): माननीय उपसभापति महोदय, आज देश में मछुआरा समाज मर्माहत है, मगर सदन में माननीय सांसदों द्वारा मछुआरों के प्रति जो सम्मान दिया गया है और मछुआरों की जो बात उठायी गयी है, तो मैं भी कुछ स्पष्टीकरण पूछना चाहता हूँ।

महोदय, आज इस देश के करोड़ों मछुआरे मर्माहत थे, क्योंकि श्रीलंका के प्रधान मंत्री ने बोल दिया है कि उनके देश की सीमा के अन्दर जो मछली मारने के लिए आएँगे, जो रोजी-रोटी की तलाश करने के लिए वहां जाते हैं, उनको वे गोली मारने का काम करेंगे। कोई पेट भरने के लिए वहां जायेगा या गोली खाने जायेगा? उस समय हम लोगों को इस बात का और ज्यादा कष्ट हुआ, जब हमारे देश की विदेश मंत्री वहाँ उपस्थित थीं। जब हमारे देश की विदेश मंत्री वहाँ उपस्थित थीं, उस समय वहां के प्रधान मंत्री का ऐसा बयान आता है। मैं सरकार से स्पष्टीकरण चाहूँगा कि मछली मारने के लिए, अपनी रोजी-रोटी के लिए अगर कोई वहां जाता है, तो आप उससे मछलियों के पैसे ले लो, मगर उसकी जान क्यों लोगे? आप ऐसी कोई नीति अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर बना रहे हैं या नहीं कि जो (वहां) मछली पकड़ें, तुम्हारी मछली मार कर लायेंगे, उसके पैसे लो, हमारे मछुआरे तुम्हें पैसे देने को तैयार हैं, उसका लाइसेंस दो? हमारे प्रधान मंत्री जी के वहां जाने से पहले मैं इस सदन में माननीय विदेश मंत्री महोदया से यह स्पष्टीकरण चाहूँगा कि क्या वहां के प्रधान मंत्री इस पर माफी मांगने के लिए तैयार हैं? अगर वे माफी मांगने के लिए तैयार नहीं हैं, तो मैं देश के प्रधान मंत्री जी से निवेदन करूँगा कि वे ऐसे देश में नहीं जायें, जहां करोड़ों मछुआरों के दिल और दिमाग पर आज यह छा गया है कि हमें कोई देखने वाला नहीं है। आज सदन के एक-एक सांसद ने जो बातें कही हैं, उनके प्रति आभार व्यक्त करते हुए, मैं अपना स्पष्टीकरण चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में हमारे मछुआरों की सुरक्षा होगी या नहीं, यह विदेश मंत्री जी बताएँ। ...**(समय की घंटी)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri J.D. Seelam, last, not the least.

SHRI JESUDASU SEELAM (Andhra Pradesh): Sir, I have the privilege of visiting Sri Lanka along with Madam Sushmaji on a goodwill delegation. We had interacted with the ...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You also visited?

SHRI JESUDASU SEELAM: Yes. I was part of the delegation.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yet all these things are happening.

SHRI JESUDASU SEELAM: Despite that ...(*Interruptions*)... Sir, while agreeing with my senior colleague Mani Shankarji, I would like to mention that Madam Sushmaji has clarified that when she discussed the issues which have dissimilarities

[Shri Jesudasu Seelam]

between the Italian mariners and the Indian fishermen, the Prime Minister seems to have said, 'he is not aware of these details.' I think that is a single factor which calls for giving a public apology for stating so.

Sir, there is one more point that I would like to mention to the hon. Minister. Though the Prime Minister is still continuing his visit, I think, the issue of fishermen is of daily routine for their livelihood. That should not be made a controversial issue so that there is no uncertainty in the lives of those fishermen because there will be lot of tensions on both the sides. So, as has been said by my predecessors, there should be a concrete time-frame as to when these mutual dialogues would take place, where that would take place; and there should be mediation because left to them, there are people who vitiate the atmosphere. That is what they explained to the delegation when we went there — "We are very cordial. Only when politics is brought in, when the diplomacy is brought in, the diplomats vitiate the atmosphere." That is the impression that we got. So, I would urge the hon. External Affairs Minister that diplomacy or politics should be kept away because that is a daily routine. Howsoever you may like to see that deep sea fishing could be an , there will continue to be violations of a small nature. (*Time bell rings*) So, this reality should be kept in mind while these issues are taken up at the diplomatic level. Thank you, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, the hon. External Affairs Minister.

विदेश मंत्री; तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): धन्यवाद, उपसभापति जी। भाई के.सी. त्यागी जी द्वारा उठाया गया विषय इतनी बड़ी विस्तृत चर्चा में बदल गया। मुझे खुशी है कि इस समस्या के बहुत आयाम इस चर्चा के बीच उभर कर आए हैं। इससे पहले कि मैं भाई सुदर्शन नाच्चीयप्पन जी के प्रश्न से अपना जवाब शुरू करूं, राजीव शुक्ल जी बोले तो सातवें नंबर पर थे, लेकिन उन्होंने मेरे साथ एक विशेषण लगा दिया *, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे सबसे पहले उसी का जवाब देना चाहिए।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have expunged it. The word * has been expunged.

श्रीमती सुषमा स्वराज: महोदय, expunge करने का प्रश्न नहीं है, आप बेशक expunge न भी करें, लेकिन मैं यह कहना चाहूंगी कि राजीव जी शायद उस समय बैठे नहीं थे **...(व्यवधान)...**

एक माननीय सदस्य: अभी भी नहीं बैठे हैं।

श्रीमती सुषमा स्वराज: नहीं, उस समय भी बैठे नहीं थे, जिस समय मैंने के.सी. त्यागी जी के प्रश्न का जवाब दिया।

---

* Expunged as ordered by the Chair.

एक माननीय सदस्य: आ गए।

श्रीमती सुषमा स्वराज: क्योंकि उसके बाद जो उन्होंने प्रश्न किए, वे सारे वे थे, जिनका जवाब मैं दे चुकी थी। अगर राजीव भाई ने मेरा उत्तर सुना होता, तो मुझे *की बजाय बहुत प्रभावी विदेश मंत्री कहते, * विदेश मंत्री नहीं कहते।

श्री तरुण विजय: शक्तिशाली विदेश मंत्री।

श्रीमती सुषमा स्वराज: महोदय, इतने प्रभावीपन से मैंने इस बात को उनके सामने रखा। **...(व्यवधान)...**

श्री राजीव शुक्ल: सुषमा जी, मैंने वह अन्य परिप्रेक्ष्य में कहा था।

श्रीमती सुषमा स्वराज: वह अन्य परिप्रेक्ष्य भी मैं बता दूं। आपने कहा कि ओबामा के बगल में बैठना चाहिए था, नहीं दिखीं। मुझे ओबामा के बगल में नहीं, अपने प्रधान मंत्री जी के बगल में बैठना चाहिए था और मैं वहीं बैठी थी। आपने वे तस्वीरें देखीं नहीं, आप वह देख लीजिए। मैं ओबामा के बगल में बैठने के लिए नहीं थी, मैं अपने प्रधान मंत्री जी के बगल में बैठने के लिए थी और मैं वहीं बैठी थी, बिल्कुल उनके बगल में बैठी थी, जिस समय राष्ट्रपति ओबामा बात कर रहे थे।

महोदय, जहां तक सवालों का ताल्लुक है, सुदर्शन नाच्चीयप्पन जी ने दो-तीन बातें फिशरमेन से अलग हट कर कहीं। सबसे पहले तो मैं यह बता दूं कि जो राजा जी कह रहे थे, यह फ्रेज मेरा खुद का है कि उन्हें तमिल मछुआरे मत कहिए, उन्हें भारतीय मछुआरे कहिए। वह तमिलनाडु में रहने वाले भारतीय मछुआरे हैं और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत सरकार की है, यह बात मैं नेता, प्रतिपक्ष के नाते कहती रही हूँ और यह बात जिस दिन मैंने पहले दिन कार्य काल संभाला, उस दिन भी विदेश मंत्रालय की सीढ़ियों पर खड़े होकर कही थी और मैं इसे भारत सरकार की जिम्मेदारी समझती हूँ कि वे तमिलनाडु के नागरिक जरूर हैं, रहते जरूर तमिलनाडु में हैं, लेकिन वे भारतीय मछुआरे हैं। इसी बात को सामने रखते हुए मैंने वहां के प्रधान मंत्री से बात की और किस लहजे में मैंने बात की, वह भी मैंने यहां बताया, क्या-क्या बात की, कैसे उन्हें समझाया, यह भी मैंने आपको बताया।

नाच्चीयप्पन जी ने दो बातें कहीं, एक internally displaced persons के बारे में और एक Tamil refugees के बारे में, जो इस प्रश्न की परिधि में नहीं आते, लेकिन मैं जवाब देना चाहूंगी कि जब प्रेसिडेंट सिरिसेना यहां आए थे और जब उनके विदेश मंत्री यहां आए थे, प्रेसिडेंट सिरिसेना की प्रधान मंत्री से मुलाकात में और मेरी विदेश मंत्री जी के मुलाकात में इन दोनों विषयों को हमने बहुत प्रभावी ढंग से उठाया था। Internally displaced persons के लिए हमने यह कहा कि जो जमीन खास तौर पर आर्मी के लिए ले ली गई है, वह जमीन वापस उन internally displaced लोगों का दी जानी चाहिए ताकि वे अपनी जिंदगी अच्छे से बसर कर सकें और वापस एक सामान्य जिन्दगी जी सकें।

जहां तक Tamil refugees का सवाल है, वह विषय पहले ही मैंने श्रीलंका के विदेश मंत्री

---

* Expunged as ordered by the Chair.

[श्रीमती सुषमा स्वराज]

से पहली विजिट में उठाया था और मुझे खुशी है कि उन्होंने कहा कि हम वहां ऐसी परिस्थितियों का निर्माण कर रहे हैं कि हमारे लोग हैं और वह वापस आएं। करीब एक लाख Tamil refugees, श्रीलंकन तमिल्स आज तमिलनाडु में रहते हैं, वे वापस पहुंचे, इन दोनों विषयों को हमने बहुत ही ज्यादा प्रभावी ढंग से श्रीलंका के नेतृत्व के साथ उठाया है।

के.सी. त्यागी जी ने जब अपनी बात रखी, तो उन्होंने दो-तीन चीजें कहीं। एक तो वह जल्दी-जल्दी में कह गए कि तमिल के प्रधान मंत्री ने यह कहा, जब कि यह तमिल के प्रधान मंत्री ने नहीं कहा, बल्कि यह श्रीलंका के प्रधान मंत्री ने कहा। आपने दूसरी बात कही कि जब मैं वहां थी, तब उन्होंने यह इंटरव्यू दिया। यह सच नहीं है। मुझे बताया गया कि यह इंटरव्यू उन्होंने 22 तारीख को दिया था, वह टेलीकास्ट उस दिन हुआ और इसीलिए मैंने कहा कि मैंने 'हिन्दू' अखबार में उसकी transcript पढ़ी। वह इंटरव्यू उन्होंने मेरे श्रीलंका में रहते हुए नहीं दिया, वह उससे कई दिन पहले का इंटरव्यू था, जो टेलीकास्ट तब किया गया और मैंने 'हिन्दू' अखबार में जब उसकी transcript पढ़ी, तो जैसा मैंने कहा कि मेरी उनसे मुलाकात तय थी। उसमें सबसे पहले मैंने यही दो बिन्दु उठाए और मैंने इसको बहुत प्रभावी ढंग से उठाया और मैं उन्हें दोनों विषयों के बारे में मनवाने में कामयाब रही ... कि Italian marines के साथ तुलना करना भी गलत है और यह गोली मारने की बात तो बिल्कुल ही अनुचित है, यह स्वीकार करवाने में मैं कामयाब रही। नवनीतकृष्णन जी ने एक पुराना मुद्दा उठाया Kachchatheevu का जिसको राजा जी ने भी उठाया और थंगावेलु जी ने भी उठाया। मैं उनको यह बताना चाहती हूं कि यह Kachchatheevu का मसला और के.सी. त्यागी जी ने बिना द्वीप का नाम लिए यह मसला उठाया। आप इसी Kachchatheevu की बात करना चाह रहे हैं। Kachchatheevu का मसला अभी सुप्रीम कोर्ट में लम्बित है। जैसा स्वयं नवनीतकृष्णन जी ने कहा कि यह रिट पिटिशन स्वयं मैडम जयललिता जी ने दायर की है। विषय उसमें इतना है कि Berubari का उदाहरण देते हुए यह कहा गया है कि Berubari में सुप्रीम कोर्ट स्वयं यह कह चुका है कि अगर हमारी कोई टेरिटरी बाहर जाती है, ट्रांस्फर की जाती है किसी भी अन्य देश को, तो कांस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट होना जरूरी है। इसमें चूंकि कांस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं हुआ, केवल टेबल पर ले किया गया था इसलिए यह सही नहीं है। चूंकि कांस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं हुआ इसलिए वह टेरिटरी हमारी है, यह विषय सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, मैटर sub judice है इसलिए इससे आगे मैं इसके बारे में नहीं कहना चाहूंगी। हमें उस निर्णय का इंतजार करना चाहिए Kachchatheevu के बारे में जो अभी तक सुप्रीम कोर्ट में लम्बित है। जो बात रंगराजन जी ने कही नवनीतकृष्णन के बाद, उन्होंने कहा कि in camera में आपकी बात हो गई और उनका इंटरव्यू तो बाहर आ गया। यह बात और भी कई लोगों ने कही, किसी ने public apology की बात कही। मणि शंकर अय्यर जी ने कहा कि क्या उन्होंने reiterate किया है अपनी बात को या retract किया है? तो मैं कहना चाहूंगी आपको कि इन-कैमरा बात जरूर हुई, लेकिन आते ही एक्सटर्नल एफेयर्स मिनिस्ट्री के प्रवक्ता ने यह बात सार्वजनिक की। बात तो अंदर ही हो गई लेकिन बाहर आते ही आधे घंटे के अंदर-अंदर प्रेस कांफ्रेंस हुई, जिसमें एम.ई.ए. के प्रवक्ता सैय्यद अकबरुद्दीन ने यह कहा कि हमारे विदेश मंत्री की यह बात प्रधान मंत्री के साथ हुई है और उन्होंने उन दोनों चीजों के बारे में यह बात रखी है। मैं यह भी बताऊं, मैं मणि शंकर जी को कहना चाहूंगी कि retraction दो तरह से होता है, एक यह कि वे खंडन करें

और दूसरा हम जो बात कहें, वे उसका खंडन न करें। हमने दूसरा तरीका अपनाया। वे स्वयं रहे हैं IFS सर्विसेज में, जानते हैं डिप्लोमेसी का तकाजा है कि अगर रिश्तों और आदर को देखते हुए बहुत बार उनके मुंह से रिट्रेक्ट करवाने के बजाय हम कहते हैं कि यह बात हुई और उसका वे खंडन नहीं करते, हमने वह रास्ता अपनाया कि आकर के हमारे प्रवक्ता ने, जो बात हम दोनों के बीच में हुई थी वह उन्होंने रखी, पर उनकी तरफ से कोई खंडन हमारी बात का नहीं किया गया। तो जो संस्कृत में एक सूत्र है "मौनम् स्वीकृति लक्षणम्", उनका चुप रह जाना मेरे यह कह जाने के बाद कि वे सहमत हो गए हैं और समझ गए हैं और यह बात अनुचित थी, यह उनको समझा दी गई है, यह रिट्रेक्शन ही है उनकी तरफ से और यह पब्लिक अपोलॉजी के बराबर ही है उनकी तरफ से।

जहां तक राजीव शुक्ल कह रहे थे कि हमारे समय में तो बड़ी धमक थी, अब तो कोई धमक नहीं भारत की, लोग धमकाते हैं। राजीव जी, मैं आपको बताना चाहती हूं कि 28 साल से यहां से कोई प्रधान मंत्री श्रीलंका नहीं गया। यह धमक थी भारत की, 17 साल तक कोई प्रधान मंत्री नेपाल नहीं गया, यह धमक थी भारत की पड़ौसी देशों के साथ। किसी दिन समय मिलेगा जब भारत की विदेश नीति पर चर्चा करते हुए पड़ौसी देशों के साथ क्या धमक तब थी और क्या धमक आज है, यह बताना चाहूंगी। लेकिन 28 वर्ष बाद भारत और श्रीलंका के संबंध जो बन रहे हैं, बनने के तुरन्त बाद विदेश मंत्री छः दिन के अंदर यहां आए। 12 जनवरी को उनकी शपथ थी और 18जनवरी को वे यहां थे। उसके तुरन्त बाद उनके प्रेजीडेंट यहां आए। अब मैं वहां गई और 13 तारीख को स्वयं प्रधान मंत्री वहां जा रहे हैं। यह हैं पड़ौसी देशों के साथ संबंध, यह हैं श्रीलंका के साथ संबंध। लेकिन जहां हमें गलत लगा और उनका बयान आपत्तिजनक लगा, अनुचित लगा तुरन्त उनके घर में बैठकर कहीं और नहीं, यह मुलाकात उनके अपने घर में थी, लेकिन उनके घर में बैठकर मैंने उनको पहली बात यह कही कि यह जो Italian marines की बात आपने की है, यह तुलना बिल्कुल गलत है और यह जो गोली मारने की बात आपने कही, यह बिल्कुल अनुचित है, हमें अस्वीकार्य है। क्या हम दोनों देश एक-दूसरे के मछुवारों को गोली मारते रहेंगे। मुझे मालूम है कि नरेन्द्र कुमार कश्यप जी किस वेदना से बोल रहे थे, वे उस बिरादरी से आते हैं। मुझे खुशी है कि तीन मछुवारों ने आज इस चर्चा में भाग लिया है। हमारे यहां से गुजरात से गोहेल जी ने लिया है, नरेन्द्र कश्यप जी ने लिया और अनिल कुमार साहनी जी ने बिहार से भाग लिया है। उनकी वेदना बोल रही थी और इसलिए उनकी बात केवल वहां तक सीमित नहीं थी जो श्रीलंका के प्रधान मंत्री ने कहा। उन्होंने गुजरात की भी बात की, उन्होंने पाकिस्तान की बात भी की, बंगाल की बात भी कही। किरनमय नन्दा जी ने बात की तीनों की। यह विषय बहुत व्यापक है लेकिन जो बात मुझसे कही गई कि क्या inter- Ministerial meeting आप करेंगी? सार्क के सभी देशों की ये समस्याएं हैं। सार्क के देशों की समस्याएं आपस में नहीं हैं, bilateral है अलग-अलग देशों के साथ। इसलिए inter- Ministerial meeting इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता। भारत की बात बंगला देश के साथ है पश्चिम बंगाल के मछुवारों को लेकर, गुजरात के मछुवारों को लेकर, कच्छ के मछुवारों को लेकर पाकिस्तान के साथ है, श्रीलंका के मछुवारों को लेकर हमारे तमिलनाडु के और आंध्र के मछुवारों को लेकर के श्रीलंका के साथ है। मुझ से नरेन्द्र कुमार कश्यप जी ने आंकड़ा मांगा कि कितनों की हत्या हुई है और कितने लोग पकड़े गए हैं? महोदय, मैंने यह आंकड़ा तारांकित और अतारांकित प्रश्नों के उत्तर में कई बार इस सदन में रखा है। आज मुझे नहीं मालूम था कि यह विषय चर्चा में बदल जाएगा, इसलिए मैं वह आंकड़ा साथ नहीं लाई हूं, लेकिन मैं आपको वह आंकड़ा पहुंचा दूंगी। श्रीलंका नेवी के द्वारा 500 से ज्यादा भारतीय

[श्रीमती सुषमा स्वराज]

मछुआरों की हत्या हुई है, लेकिन मैं गर्व से कह सकती हूं कि जब से यह सरकार आई है, एक भी मछुआरा नहीं मारा गया है। मैंने यह भी बताया कि प्रेसीडेंट श्री सिरिसेना के साथ मीटिंग के बाद एक दिन ऐसा भी आया, जब हम जीरो-जीरो पर आ गए। हमारी एक भी बोट उधर नहीं थी, एक भी बोट श्रीलंका की यहां नहीं थी, एक भी मछुआरा उनके यहां गिरफ्तार नहीं था, एक भी मछुआरा उनका हमारे यहां गिरफ्तार नहीं था। उसके लिए मुझे कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर सिद्धरमैया जी से स्पेशली बात करनी पड़ी। मैंने कहा हम यह आंकड़ा जीरो-जीरो पर ला सकते हैं। हमारे 12 लोग उनके यहां पकड़े गए थे, मैंने कहा कि आप भी छोड़ दीजिए। मैंने पानिर सेल्वम जी से बात की कि आप भी छोड़ दीजिए, वे हमारे सारे छोड़ रहे हैं। उपसभापति जी, ऐसी परिस्थिति इसी सरकार में आई कि जहां यह आंकड़ा जीरो-जीरो रहा। हमारी एक भी बोट या मछुआरा श्रीलंका में नहीं था और एक भी मछुआरा व एक भी बोट श्रीलंका की यहां नहीं थी। फिर तरुण विजय जी ने पूछा कि आगे भी यह न हो, इस के लिए आप क्या mechanism बना रही हैं? वह मैकेनिज्म मैंने के.सी. त्यागी जी के सवाल के जवाब में बताया कि वह mechanism यही है कि अभी joint fishermen meeting आपस में हो। सर, ये आपस में रिश्तेदार भी हैं, दोनों तरफ तमिल भाषी हैं, जब तक हम deep-sea fishing पर नहीं जाते हैं, एक साथ बैठकर तय करें। के.सी. त्यागी जी, आप deep-sea fishing और bottom trawlers में confuse कर रहे हैं। Deep sea fishing अलग है। अभी जो bottom trawlers वहां जा रहे हैं, वे पूरे sea surface को उखाड़कर ला रहे हैं, लेकिन deep-sea fishing अपने आप में एक स्थायी समाधान होगा। उसके लिए हम बहुत बड़ा पैकेज तैयार कर रहे हैं। शरद जी ने भी कहा कि पैसा बहुत लगेगा, हां पैसा लगेगा और वह पैसा हम देंगे क्योंकि हमारे मछुआरों की जान से ज्यादा पैसा नहीं हो सकता। महोदय, एक-एक जान बहुत महंगी है और अगर उसके against हमें 500 करोड़ रुपए इकट्ठे कर के पैकेज बनाना पड़े, तो हम उसे बनाएंगे। हम deep-sea fishing की पैकेजिंग कर रहे हैं, लेकिन जब तक वह packaging नहीं होती, तब तक सवाल यह है कि हम क्या करें? तो वह मैकेनिज्म मैंने रानिल विक्रमसिंघे जी से कहा कि इस में एक humanitarian angle अपनाना पड़ेगा। हम technicalities में नहीं जा सकते कि आप हमारे यहां उसका उल्लंघन कर के क्यों आ गए और मैं आपको कहूं कि आप हमारे यहां उल्लंघन कर के क्यों आ गए? मैंने उन्हें बताया कि हमने अभी 19 लोग आपके पकड़े, हमने कोस्ट गार्ड्स को कहकर उन्हें तुरंत रिलीज करवा दिया। हमने तो नहीं कहा कि गोली मार दो, आपने कैसे कह दिया कि गोली मार दो? इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूं कि वह mechanism हमने तय किया। मणि शंकर जी ने यह भी पूछा कि क्या आपने कोई time frame तय किया है? हां, 11 तारीख का time frame तय किया है।

SHRI S. MUTHUKARUPPAN (TAMIL NADU): Recently, they arrested 21 fishermen with three boats. You have not mentioned about that.

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ: I know that. That is why I am saying, "there was a day when there was zero-zero". I am not talking of the present situation. I am not talking about that. I am saying that earlier, there was a day when it was only zero-zero.

उन्होंने पूछा कि क्या कोई timeframe तय किया? हां, 11 तारीख का timeframe तय किया है, लेकिन चूंकि प्रधान मंत्री जी की वहां की यात्रा 13 तारीख से है, इसलिए हमने कहा कि 15 तारीख के बाद करेंगे। तो 15 तारीख के बाद की मीटिंग तय हो रही है, जिस में दोनों तरफ के fishermen बैठेंगे। हम लोग सब साथ होंगे, हमारे अधिकारी वहां जाएंगे और बैठकर कोई internal arrangement ऐसा निकालेंगे जिसके तहत यह जो बार-बार गिरफ्तार करने या मारने की बात आती है, यह न आए।

मणि शंकर अय्यर जी ने मुझ से 7 सवाल पूछे और जैसा उनका तरीका है कि "Did EAM take up like this? Did EAM take up like this?" Yes, आपके 7 में से पहले 4 सवाल मैंने takeup किए, लेकिन भाषा मणि शंकर अय्यर की नहीं थी, भाषा सुषमा स्वराज की थी। उसमें भाव वही था, जो मणि शंकर अय्यर जी के मन में है, बिल्कुल same भाव के साथ मैंने वे 4 सवाल आपके रखे। जो बाद के 3 सवाल पूछे, उनमें भाषा और भाव दोनों एक थे। मैंने उनसे internal arrangement की बात की। आपने पूछा कि क्या आपने उनसे internal arrangement की बात की? हां, मैंने उनसे internal arrangement की बात की। उसके बाद आपने कहा कि क्या कोई time frame रखा? तो मैंने कहा कि हां, हमने timeframe रखा। तीसरा, आपने कहा कि क्या वे retract करने को तैयार हुए? उसका मैंने जवाब दिया कि retraction का हमने तरीका यह माना कि हम वहां जाकर बोलें और वे contradict न करें। हम बाहर बोले और उन्होंने कंट्राडिक्ट नहीं किया। इसलिए मैं अपने तमाम साथियों से कहना चाहती हूँ कि जो-जो विषय आपके द्वारा यहां उठाए गए हैं, उनमें आपकी वेदना और आपका आक्रोश जो व्यक्त किया गया है, उसमें मैं शामिल हूँ और मैं यह भी कहना चाहती हूँ कि भारत सरकार की पूरी जिम्मेदारी समझते हुए बिना एक दिन भी बिताए उसी दिन मेरी प्रधान मंत्री विक्रमसिंघे से बात हुई। मैं उनको दोनों विषयों पर समझाने में कामयाब हुई और यह बताने में कामयाब हुई कि उन्होंने जो कहा है, वह अनुचित है, हमारे लिए वह आपत्तिजनक है। बाहर आकर हमने यह बात अपने प्रवक्ता के द्वारा कहलवा दी, उनका खंडन नहीं आया। इसका मतलब साफ है कि जो मैं इम्प्रेशन लेकर उठी कि वे समझ गए हैं, वे वाकई समझ गए, लेकिन हम हमेशा इस मामले पर पूरी निगाह बना कर रखेंगे। यह जो मीटिंग फिशरमैन की होगी, मुझे लगता है कि उसमें से कोई स्थायी समाधान जरूर निकलेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। **...(व्यवधान)...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. ...(*Interruptions*)...

SHRI D. RAJA: Sir, one explanation. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Clarifications are over. ...(*Interruptions*)...

SHRI JESUDASU SEELAM: Sir, I want to seek a clarification. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. Hon. Leader of the Opposition. ...(*Interruptions*)... Listen, please. Mr. Raja, no clarifications on clarifications. ...(*Interruptions*)... I only allowed the Leader of the Opposition. ...(*Interruptions*)... That is a special case. ...(*Interruptions*)... I allowed only the Leader of the Opposition. That is a different case. No clarifications on clarifications.

THE LEADER OF THE OPPOSITION (SHRI GHULAM NABI AZAD): Sir,

[Shri Ghulam Nabi Azad]

there was a discussion. Some points were raised from this side, from the Opposition side on Kashmir issue, on Masarat Alam, and, subsequently, it was agreed upon, and, we were told that hon. Home Minister will come and give a Statement. The hon. Home Minister came here and gave a Statement. We had a discussion here but later on, just after the Prime Minister and the Home Minister left, we were told that in the other House, hon. Prime Minister also spoke. The hon. Prime Minister came to this House but did not speak here. It has never happened that on a particular subject, the Prime Minister speaks in the other House but does not speak in this House in spite of the fact that the Prime Minister was present here. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: But you did not demand that. You could have demanded at that time.

SHRI GHULAM NABI AZAD: No, we did not know that. ...(*Interruptions*)... We would have demanded but we did not know that the hon. Prime Minister spoke there. ...(*Interruptions*)...

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार अब्बास नकवी): सर, लीडर ऑफ अपोजीशन और माननीय सदस्यों ने कश्मीर के बारे में मुद्दा उठाया था और फिशरमैन के इश्यूज पर मुद्दा उठाया था, उसमें कश्मीर के मुद्दे पर माननीय गृह मंत्री जी द्वारा जवाब देने की बात थी और माननीय सदस्यों ने जो भी जानना चाहा था,उस पर गृह मंत्री जी ने विस्तार से **...(व्यवधान)..**

SHRI JESUDASU SEELAM: We demanded for it also. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please listen to the Minister. ...(*Interruptions*)...

SHRI JESUDASU SEELAM: Sir, we had demanded. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Seelam, please listen. Your leader has spoken. Please sit down. ...(*Interruptions*)...

श्री मुख्तार अब्बास नक़वी: जो भी सवाल उठाया था, जो भी जवाब चाहा था, उसका विस्तार से, पूरी तरह से दूध का दूध और पानी का पानी करते हुए जवाब आपको दिया है। दूसरी चीज यह कि उस सदन में प्रधान मंत्री जी ने इंटरवीन किया, यह बात सही है। **...(व्यवधान)...**

श्री प्रमोद तिवारी (उत्तर प्रदेश): लेकिन यहां पर क्यों नहीं किया? यह राज्य सभा का अपमान है। **...(व्यवधान)...** यहां आते हैं और अगर यहां पर बयान नहीं देते, तो यह राज्य सभा का अपमान है। **...(व्यवधान)...** यह हम नहीं सहेंगे। **...(व्यवधान)...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Tiwari, please listen. ...(*Interruptions*)...

SHRI BHUBANESWAR KALITA (Assam): The Home Minister was ... ...(*Interruptions*)... That is why we did not interfere. ...(*Interruptions*)... But the Prime Minister did not reply. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Let the Minister speak. ...(*Interruptions*)... First, you please listen to the Minister. ...(*Interruptions*)... Hon. Members, please sit down. Listen to the Minister. Let him speak.

श्री मुख्तार अब्बास नक़वी: हमें मालूम है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? **...(व्यवधान)...** देखिए, यह बहानेबाजी आप किस लिए कर रहे हैं, हमें यह पूरा मालूम है।**...(व्यवधान)...**

श्री उपसभापति: मंत्री जी की बात सुनिए। **...(व्यवधान)...** Let me understand him. ...(*Interruptions*)...

श्री मुख्तार अब्बास नक़वी: उस सदन में किसी प्रकार का क्लेरिफिकेशन नहीं हुआ था, यहां क्लेरिफिकेशन हुआ तो होम मिनिस्टर साहब ने जवाब भी दिया है। उसके बाद मुझे लगता है कि कोई विषय नहीं है। **...(व्यवधान)...**

श्री उपसभापति: मंत्री जी की बात सुनिए। **...(व्यवधान)...**

SHRI ANAND SHARMA (Rajasthan): We had asked specific questions to the Prime Minister. That can be verified from the records. मैंने पूछा, शरद जी ने पूछा, प्रधान मंत्री जी से सीधा प्रश्न किया और यह कहा कि माननीय प्रधान मंत्री जी आएं, अच्छी बात है, आप इस पर स्पष्ट करें। विशेष तौर पर जो विदेश नीति, कूटनीति से जुड़ी बात थी, क्या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में आपने पाकिस्तान से बात करने का किया है? **...(व्यवधान)...** यह किसी भी राज्य की सरकार को बनाने के लिए ठीक नहीं है। प्रधान मंत्री जी ने स्पष्टीकरण नहीं दिया।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: But Mr. Anand Sharma, you did not ask the Prime Minister to reply. You could have asked for it. ...(*Interruptions*)...

SHRI ANAND SHARMA: I did ask, Sir. ...(*Interruptions*)... I did ask specifically. Kindly check the records. ...(*Interruptions*)... He has shown disrespect to this House. He came and left. ...(*Interruptions*)...

SHRI V. HANUMANTHA RAO (Telangana): Sir, kindly see the records. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Let the Minister clarify.

श्री मुख्तार अब्बास नक़वी: सर, आनन्द शर्मा जी ने प्रधान मंत्री जी के सामने क्लेरिफिकेशन मांगा, लगभग सभी माननीय सदस्यों ने क्लेरिफिकेशन मांगा, किसी ने भी यह नहीं कहा **...(व्यवधान)...** हम कह रहे हैं, किसी ने भी यह नहीं कहा कि माननीय प्रधान मंत्री जी को इंटरवीन करना चाहिए। **...(व्यवधान)...** आनन्द शर्मा जी, कम से कम आप तो यह न कहिए, क्योंकि आपने तो एक शब्द नहीं

[श्री मुख्तार अब्बास नक़वी]

कहा। ...(**व्यवधान**)... अगर आप में से कोई कहता, तो प्रधान मंत्री जी तो यहां थे। उन्हें प्रसन्नता होती, खड़े होकर आपको जवाब देते। ...(**व्यवधान**)... किसी ने यह बात नहीं कही। ...(**व्यवधान**)... इसलिए अगर कोई और बहाना हो तो कहिए, इसको बहाना मत बनाइए। ...(**व्यवधान**)...

श्री गुलाम नबी आजाद: उपसभापति महोदय, यह सच है कि किसी ने इस तरफ से नहीं कहा। हमने इसलिए नहीं कहा, क्योंकि हमें मालूम नहीं था कि माननीय प्रधान मंत्री जी दूसरे सदन में बोल चुके हैं। हमने सोचा कि अगर हम उनसे यहां बुलवाएंगे, तो फिर उन्हें दूसरे सदन में भी बोलना पड़ेगा। लिहाज़ा अगर उन्होंने दूसरे सदन में इंटरवीन किया है तो इस सदन में भी इंटरवीन करें। ...(**व्यवधान**)...

†{**ناب غلام نبی آزاد:** اپ سبھا پتی مہودے، یہ سچ ہے کہ کسی نے اس طرف سے نہیں کہا- ہم نے اس لئے نہیں کہا، کیوں ہمیں معلوم نہیں تھا کہ مانّنے پردھان منتری جی دوسرے سدن میں بول چکے ہیں- ہم نے سوچا کہ اگر ہم ان سے یہاں بلوائیں گے، تو پھر انہیں دوسرے سدن میں بھی بولنا پڑے گا- لہذا اگر انہوں نے دوسرے سدن میں انٹروین کیا ہے تو اس سدن میں بھی انٹروین کریں — (مداخلت)—}

SHRI P. RAJEEVE: Sir, it is the right of this House to hear the Prime Minister. ..(*Interruptions*)..

मुख्तार अब्बास नक़वी: उपसभापति जी, ...(**व्यवधान**)... मैं समझता था कि वे इस पर चर्चा करेंगे, ...(**व्यवधान**)... मुझे लगता है कि इस पर बहानेबाजी करना ठीक नहीं है। ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes, Sharad Yadavji, you can solve the problem. ...(*Interruptions*)..

श्री शरद यादव: माननीय उपसभापति जी, नेता सदन ने जो बात कही है, हम भी रास्ता ही देख रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर जब आज यहां आएंगे, तो इंटरवीन करेंगे, लेकिन हालात ऐसे बने कि उनकी तरफ से सिर्फ गृह मंत्री जी बोलकर चले गए। सही है, हम लोग इंतजार ही कर रहे थे कि वे भी इस मामले में कुछ कहेंगे। मैंने बात पूछी थी कि दो महीने बात चली है और उसमें एक बात कॉमन मिनीमम प्रोग्राम की सामने है और एक बात परदे के पीछे है। यहां जम्मू-कश्मीर के माननीय सदस्य बैठे हुए हैं। मैं अच्छी तरह जानता हूं। वे बहुत पुराने आदमी हैं। पीछे भी कुछ बात हुई है। मान लो वह बात साफ नहीं हुई है और एक सेंटेंस बोलकर गृह मंत्री जी चले गए। परदे के पीछे भी, बात कुछ आगे-पीछे जरूर हुई है। आज उस बात को आप लोगों ने साफ नहीं किया। यह बात ठीक नहीं है। ...(**व्यवधान**)...

श्री मुख्तार अब्बास नक़वी : माननीय उपसभापति जी, इस पर चर्चा खत्म हो चुकी है। ...(**व्यवधान**)... इस समय ऐसी बात करना उचित नहीं है।...(**व्यवधान**)... यह बहाना ठीक नहीं है। ...(**व्यवधान**)... यह बहाना आपको शोभा नहीं दे रहा है। ...(**व्यवधान**)...

---

†Transliteration in Urdu script.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: As far as ..(*Interruptions*).. Please listen. ..(*Interruptions*).. As far as the Chair is concerned, the discussion on Jammu and Kashmir issue is over in the morning.

Because clarifications were sought, the hon. Home Minister has replied. As far as the Chair is concerned, that discussion is over. So, I have to go to the next item. ..(*Interruptions*)..

SHRI P. RAJEEVE: No, Sir. ..(*Interruptions*).. The Prime Minister should come. ..(*Interruptions*)..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: What do you want? ..(*Interruptions*).. I am going to take up the Statutory Resolution. ..(*Interruptions*).. The Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Ordinance, 2015. Shri D. Raja. ..(*Interruptions*).. Shri D. Raja. ...(*Interruptions*)... I am taking up Statutory Resolution. ...(*Interruptions*)...

SHRI D. RAJA: Sir, the House is not in order. ...(*Interruptions*)... The House is not in order. ...(*Interruptions*)... How can I speak? ...(*Interruptions*)... Sir, we all referred to the Prime Minister. ...(*Interruptions*)... The Prime Minister was personally involved in forging the alliance in Jammu and Kashmir. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri D. Raja, ...(*Interruptions*)... What is the reason? ...(*Interruptions*)... You do not want to move it. ...(*Interruptions*)... Mr. Raja ...(*Interruptions*)...

SHRI MUKHTAR ABBAS NAQVI: Sir, the Business Advisory Committee already allotted four hours for the discussion on the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Ordinance ...(*Interruptions*)... Business Advisory Committee already allotted four hours for the discussion on the Mines and Minerals Amendment Bill, 2015. ...(*Interruptions*)... सर, हमें माइन्स एंड मिनरल्स अमेंडमेंट बिल, 2015 लेना चाहिए। **...(व्यवधान)...** If Mr. Raja does not want to raise, ...(*Interruptions*)... If Mr. Raja does not want to raise the Statutory Resolution, ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Are you moving Statutory Resolution? ...(*Interruptions*)...

SHRI D. RAJA: Sir, the House is not in order. ...(*Interruptions*)... The House is not in order. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes, allow me one minute. ...(*Interruptions*)... Allow me one minute. ...(*Interruptions*)... One minute; please listen. ...(*Interruptions*)... Please listen. You are all hon. Members ...(*Interruptions*)... No; please listen.

[Mr. Deputy Chairman]

...(*Interruptions*)... Let me say, ...(*Interruptions*)... Let me say, ...(*Interruptions*)... No please. ...(*Interruptions*)... No please. ...(*Interruptions*)... Now, I am only asking one question. You please listen and then reply. ...(*Interruptions*)... Here is a Statutory Resolution. It is to be taken up. ...(*Interruptions*)... No, please. ...(*Interruptions*)... It is your Resolution. ...(*Interruptions*)... It is your Resolution. ...(*Interruptions*)...

SHRI D. RAJA: The House is not in order. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: This is a Resolution for which notice is given by Opposition Members. ...(*Interruptions*)... Only you have given the notice; not the Government. ...(*Interruptions*)... This Resolution is yours; not mine, not Government. ...(*Interruptions*)...

SHRI D. RAJA: The House is not in order. What can I do? ...(*Interruptions*)... The House is not in order. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The House is adjourned for fifteen minutes.

The House then adjourned at fourteen minutes past four of the clock.

The House reassembled at twenty-nine minutes past four of the clock,

MR. DEPUTY CHAIRMAN *in the Chair*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I am taking up Statutory Resolution. ...(*Interruptions*)...

SHRI ANAND SHARMA: Sir, we have raised certain issues. Those issues have not been addressed. It is very, very clear that...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The hon. Leader of the House.

THE LEADER OF THE HOUSE (SHRI ARUN JAITLEY): Sir, when the clarifications were being sought on the issue relating to Jammu and Kashmir the hon. Prime Minister was present throughout the debate. He even sat beyond the debate in case anybody wanted him specifically to some questions. The debate was over and thereafter he left. Two hours later for some other collateral reasons to say that the Prime Minister did not ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Let him complete. ...(*Interruptions*)... Let him complete. ...(*Interruptions*)...

श्री अविनाश राय खन्ना (पंजाब): आप उन्हें बात तो पूरी करने दो...**(व्यवधान)**... एक मिनट उन्हें बात तो पूरी करने दो।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Let him complete. ...(*Interruptions*)... Let him complete. ...(*Interruptions*)...

SHRI ARUN JAITLEY: My appeal to all my colleagues in the Opposition is that the Coal Ordinance and the Mines and Minerals Ordinance are two important pieces of legislation. The entire money is going to the States, particularly the States which have a lot of tribal population. They may kindly consider this. If they don't want this money to go to the States, and particularly those States which need that money because of a very high tribal population...(*Interruptions*)... Therefore, those neglected areas are going to get this resource. My earnest appeal to them would be to allow these two Bills, one after the other, to be taken up for consideration of the hon. House. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Bill, 2015. ...(*Interruptions*)... Shri D. Raja to move... (*Interruptions*)...

SHRI D. RAJA: Where is the order, Sir? ...(*Interruptions*)... How can I move? ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Are you moving? ...(*Interruptions*)... Shri Raja, this order is enough. ...(*Interruptions*)...

SHRI D. RAJA: The House is not in order. ...(*Interruptions*)... How can I move? ...(*Interruptions*)...

श्री अविनाश राय खन्ना : सर, क्या ये ट्रायबल्स के खिलाफ हैं। **...(व्यवधान)...** आपको सारा देश देख रहा है। **...(व्यवधान)...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: If you are not moving, I would call Shri M.P. Achuthan. ...(*Interruptions*)...

SHRI D. RAJA: Sir, this is an important Bill. ...(*Interruptions*)... When the House is not in order, how can I do it? ...(*Interruptions*)... You tell me. ...(*Interruptions*)... I am ready, but the House is not in order. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri M.P. Achuthan. ...(*Interruptions*)... You only say that you are moving it. ...(*Interruptions*)...

SHRI D. RAJA: When the House is not in order, how can I take up this serious issue? ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Then, I would call Shri M.P. Achuthan. ...(*Interruptions*)...

SHRI D. RAJA: How can I do it, Sir? ...(*Interruptions*)... You protect my right. ...(*Interruptions*)... As a Member, I am asking you to protect my right. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri M.P. Achuthan. ...(*Interruptions*)... Shri Derek O'Brien, are you moving? ...(*Interruptions*)... Dr. Subbarami Reddy. ...(*Interruptions*)...

SHRI D. RAJA: Sir, I am ready. ...(*Interruptions*)... The House is not in order. ...(*Interruptions*)... What can I do? ...(*Interruptions*)... You tell me how can I move this. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: If you want to move, you can say that you are moving. ...(*Interruptions*)... That is enough. ...(*Interruptions*)...

SHRI D. RAJA: How can I move this when the House is not in order? ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have to put it on record that I called the names of the Statutory Resolution movers who have given notice. Mr. Raja, you have not moved it. I called your name, but you have not moved it.

SHRI D. RAJA: The House is not in order. ..(*Interruptions*).. You should protect my right as a Member. When the House is not in order, how can I move? Please tell me. ..(*Interruptions*).. I have to move. I am ready. But the House is not in order. How can I move?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The House is adjourned to meet tomorrow at 11.00 a.m.

The House then adjourned at thirty-six minutes
past four of the clock till eleven of the clock
on Tuesday, the 10th March, 2015.